छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

पंचम विधान सभा **दशम् सत्र**

मंगलवार, दिनांक 23 फरवरी, 2021

(फाल्गुन 04, शक सम्वत् 1942)

[अंक 02]

Web Copy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 23 फरवरी, 2021

(फाल्गुन-4, शक संवत् 1942)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:00 बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

निधन का उल्लेख

(1) श्री ओम प्रकाश राठिया, छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व संसदीय सचिव ।
(2) डॉ. भानुप्रताप गुप्ता, अविभाजित मध्यप्रदेश शासन के पूर्व राज्य मंत्री ।
(3) श्री लक्ष्मण राम, अविभाजित मध्यप्रदेश शासन के पूर्व संसदीय सचिव ।
(4) श्री रोशनलाल, छत्तीसगढ़ विधान सभा के पूर्व सदस्य ।

अध्यक्ष महोदय :- मुझे सदन को सूचित करते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व संसदीय सचिव, श्री ओम प्रकाश राठिया का दिनांक 30 दिसम्बर, 2020, अविभाजित मध्यप्रदेश शासन के पूर्व राज्य मंत्री, डॉ. भानुप्रताप गुप्ता का दिनांक 13 जनवरी, 2021, अविभाजित मध्यप्रदेश शासन के पूर्व संसदीय सचिव, श्री लक्ष्मण राम का दिनांक 30 जनवरी, 2021 तथा छत्तीसगढ़ विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री रोशनलाल का दिनांक 1 फरवरी, 2021 को निधन हो गया है ।

श्री ओमप्रकाश राठिया का जन्म 2 नवम्बर, 1966 को ग्राम-बाकारूमा, तहसील-धरमजयगढ़, जिला-रायगढ़ में हुआ था । श्री राठिया ने एम.ए., एल.एल.बी. की शिक्षा प्राप्त की थी । उनका मुख्य व्यवसाय कृषि था । उन्होंने राजनीतिक जीवन की शुरूआत जिला पंचायत सदस्य के रूप में की थी । वे भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर धरमजयगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से सन् 2003 तथा सन् 2008 में छत्तीसगढ़ विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए । सन् 2008 में उन्होंने छत्तीसगढ़ शासन में संसदीय सचिव का दायित्व संभाला । उनकी खेल एवं समाजसेवा में विशेष अभिरूचि थी । उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास हेतु उल्लेखनीय कार्य किये ।

उनके निधन से प्रदेश ने एक राजनेता तथा समाजसेवी को खो दिया है ।

डॉ. भानुप्रताप गुप्ता का जन्म 3 अप्रैल, 1938 को ग्राम-धनेली, विकासखण्ड-नवागढ़, जिला-बेमेतरा में हुआ था । उन्होंने बी.ए.एम.एस. तक की शिक्षा ग्रहण की थी । उन्होंने शासकीय चिकित्सक के रूप में सेवा प्रारंभ की । पश्चात् वे शासकीय सेवा से त्यागपत्र देकर निजी चिकित्सीय सेवा कार्य करते रहे । वे मीसा बंदी के तहत् जेल भी गये । सन् 1977 में जरहागांव निर्वाचन क्षेत्र से अविभाजित

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए तथा उन्होंने मध्यप्रदेश शासन में स्वास्थ्य राज्य मंत्री के पद का दायित्व संभाला । उन्होंने अनेक सामाजिक तथा धार्मिक संस्थाओं में उल्लेखनीय योगदान दिया । उनका जीवन अपने क्षेत्र की जनता की भलाई तथा समाजसेवा के लिये समर्पित रहा ।

उनके निधन से प्रदेश ने एक वरिष्ठ राजनेता, कुशल चिकित्सक तथा समाजसेवी को खो दिया है ।

श्री लक्ष्मण राम का जन्म 14 मार्च, 1941 को ग्राम-रानी कोम्बो, पोस्ट-नारायणपुर, जिला-जशपुर में हुआ था । वे बगीचा के ग्राम बटई केला मण्डल के मण्डलेश्वर रहे । वे कांग्रेस पार्टी की टिकट पर सन् 1967 में बगीचा निर्वाचन क्षेत्र से अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य चुने गये तथा उन्होंने मध्यप्रदेश शासन में संसदीय सचिव का दायित्व भी संभाला । अपने क्षेत्र के विकास के लिये वे सदैव तत्पर रहे । उनका दीर्घकालीन राजनैतिक जीवन समाज सेवा तथा अपने क्षेत्र की जनता की भलाई के लिये समर्पित रहा ।

उनके निधन से प्रदेश ने एक वरिष्ठ राजनीतिक, कुशल प्रशासक तथा समाजसेवी को खो दिया है ।

श्री रोशनलाल का जन्म 20 जून, 1954 को रायगढ़ में हुआ था । उन्होंने एम.कॉम, तक की शिक्षा ग्रहण की थी । वे भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर सन् 2013 में रायगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ विधान सभा के सदस्य चुने गये । वे छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रश्न एवं संदर्भ समिति के सभापति के साथ ही विभिन्न समितियों के सदस्य भी रहे । वे छत्तीसगढ़ हाऊसिंग बोर्ड के संचालक मंडल के सदस्य भी रहे । उनका राजनैतिक जीवन शैक्षणिक विकास, युवा व महिला सशक्तिकरण तथा गरीब वर्ग के उत्थान के लिये समर्पित रहा । वे अपने क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिये सदैव तत्पर रहे ।

उनके निधन से प्रदेश ने एक वरिष्ठ राजनीतिक तथा समाजसेवी को खो दिया है ।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय रोशनलाल अग्रवाल जी के आकस्मिक निधन से हम सब शोकाकुल हैं । 67 साल की आयु में भी वे बहुत ऊर्जावान थे, संभावनाओं से भरे हुए थे लेकिन सीढ़ी से गिरने जैसी दुर्घटना से उनका स्वर्गवास हो गया । श्री रोशन भाई को हम सबने संघर्ष करते हुए देखा । एक-एक सीढ़ी करके वे राजनीति में आये और विधानसभा तक पहुंचे, बहुत ही सहज, सरल और मिलनसार व्यक्तित्व के धनी, राजनीति की दलगत सीमा से ऊपर उठकर भी वे बात करते थे। वे रायगढ़ में एक अजातशत्रु के रूप में जाने जाते रहे हैं । हम सब साथ ही विधान सभा में थे और उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हम सबको याद है । उनके जाने से निश्चित रूप से अपूरणीय क्षति हुई है । मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री ओमप्रकाश राठिया, जो धर्मजयगढ़ विधान सभा क्षेत्र से विधायक थे । वे दो बार चुनकर आए, लेकिन 54 साल की कम उम्र में उनका चला जाना बेहद ही दुखदायी है । वे मात्र 37 साल की युवावस्था में विधायक बने, संसदीय सचिव बने । अध्यक्ष महोदय, मैं उनकी दिवंगत आत्मा की शांति और उनका परिवर इस दुख को सहन कर सके ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं ।

श्री लक्ष्मण राम जी जशपुर अंचल के कद्दावर नेता थे । आदिवासी समाज की आवाज़ कहलाने वाले हमारे वरिष्ठ नेता के निधन से एक युग का अंत हो गया । अविभाजित मध्यप्रदेश में वे बगीचा विधान सभा क्षेत्र से चुने गए थे । वे अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा सजग रहे । ईब व्यपवर्तन, नारायणपुर ब्रिज, चरईडांड-बगीचा रोड, नहर निर्माण, नारायणपुर में बिजली पहुंचाने के लिए विशेष रूप से याद किये जाएंगे । उनका जीवन संघर्षपूर्ण रहा । वे अंतिम क्षण तक जनसेवा करते रहे । ऐसे व्यक्ति के जाने एक अपूरणीय क्षति होती है । मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं ।

डॉ. भानुप्रताप गुप्ता को ऐसे सौभाग्यशाली व्यक्ति के रूप में याद किया जाएगा, जिन्हें जनसेवा के अपने अध्याव्साय के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाने का अवसर मिला और उन्होंने इसे सार्थक भी किया । अध्यक्ष महोदय, एक चिकित्सक का जीवन वैसे भी सार्वजनिक होता है । वे राजनीति में आए तो यह फ़लक बहुत बड़ा हो जाता है और नि:स्वार्थ सेवा का प्रतीक बन जाता है । डॉ. गुप्ता इन्हीं खूबियों के कारण लोकप्रिय हुए । अविभाजित मध्यप्रदेश के जमाने में विधायक बने और मध्यप्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उन्हें काम करने का अवसर मिला । मैं चारों दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ओमप्रकाश राठिया जी का जन्म ग्राम बकरूमा में एक ग्रामीण कृषक परिवार में हुआ । समाज सेवा में उनकी ललक रही, रुचि रही । उन्होंने जिला पंचायत के सदस्य के रूप में राजनीतिक जीवन प्रारंभ किया । वे 2003 में भारतीय जनता पार्टी की टिकिट पर विधायक चुनकर आए । साथ ही 2008 में विधायक और संसदीय सचिव बने । उनका विचार था कि यदि जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुआ हूं तो जनता की सेवा करूं । उन्होंने सेवा भाव के रूप में इस राजनीति को लिया और निरन्तर जनता की सेवा में लगे रहे । वे बिल्कुल स्वस्थ थे, युवा थे और इस कोविडकाल में अचानक ही हमसे बिछड़ गए । अध्यक्ष महोदय, एक समाजसेवी को खो दिया है, मैं ऐसे लोकप्रिय और समाजसेवी व्यक्ति को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं ।

डॉ. भानुप्रताप गुप्ता जी, अविभाजित मध्यप्रदेश में जरहागांव से विधायक चुनकर आए । अभी बिल्हा विधान सभा का एक भाग है, पथरिया । वे वहां रहकर चिकित्सक का कार्य करते थे । उसके पहले वे शासकीय सेवा में डॉक्टर के रूप में पदस्थ थे । उन्होंने बचपन से ही संघ के स्वयं सेवक के रूप में कार्य किया । उनकी पृष्ठभूमि थी कि वे निरंजन केशरवानी जी के भांजे और राजनीतिक परिवार से थे और उस परिवार में जन्म लेना, समाज सेवा जिनका मूल उद्देश्य है। वे हमेशा लोगों के हितार्थ सेवा में

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

लगे रहे। साथ ही जब आपातकाल हुआ तो वे जेल भी गये और मीसाबंदी के रूप में वे पूरे समय जेल में रहे और उसी के साथ ही साथ जिस प्रकार गरीबों के प्रति उनकी समर्पण की भावना रही। चिकित्सा व्यवसाय में वैसे ही कहा जाता है कि वे सेवा का भाव लेकर आते हैं और इस प्रकार से उनका पूरा जीवन वैसा ही बीता है। उनके परिवार से बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहा और आज भी है और ऐसे डॉ. भानुप्रताप गुप्ता को हमने खोया है। मैं दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और श्रद्धांजलि देता हूं।

श्री लक्ष्मण राम जी नारायणपुर जिला जशपुर बगीचा से विधायक के रूप में चुनकर आये। वे बटइकेला मंडल के मण्डलेश्वर रहे और अविभाजित मध्यप्रदेश में विधायक निर्वाचित होकर आये। वे संसदीय सचिव भी रहे। उसके साथ ही साथ अपने क्षेत्र के प्रति, समाज के प्रति और एक कृषक होने के नाते वे माटी पुत्र धरती से जुड़े रहे। वे हमेशा समाज सेवा में तल्लीन रहे। वे आज हमारे बीच में नहीं हैं। मैं उनके प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं।

श्री रोशनलाल अग्रवाल जी इस विधान सभा में आप सभी के साथ में विधायक के रूप में काम किये हैं। वे एक युवा विधायक के रूप में मन में संकल्प लेकर आये। रोशनलाल जी जिस कार्य को ठान लेते थे कि मुझे करना है तो उसके पीछे पूरा ध्येय बनाकर वे काम करने के आदी रहे। हम सब लोगों ने उनके संघर्ष और उनके जज्बे को देखा है। उसके साथ ही साथ वे हाउसिंग बोर्ड के संचालक मंडल के सदस्य भी रहे और साथ ही संगठन के विभिन्न दायित्वों का उनके द्वारा निर्वहन किया गया है। वे रायगढ़ जिले के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने पार्टी के अनेक दायित्वों का निर्वहन किया। समाजसेवा के रूप में उनका काम करना, चाहे वहां के युवा हो या आर्थिक रूप से कमजोर लोग हो, उनकी मदद कैसे की जाये, इस बात को ध्येय बनाकर उन्होंने काम किया। वे बिल्कुल स्वस्थ थे और हमें यह बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वे हमारे बीच से चले जायेंगे। इसे एक दुर्घटना समझ लीजिए कि सीढ़ी से उतरते वक्त वे नीचे गिरे। केवल 3 से 4 सीढ़ी बची हुई थी जमीन पर नीचे आने के लिए और वे गिरे और गिरने के बाद ब्रेन हेमरेज हुआ और उन्हें एयर एम्बुलेंस से दिल्ली शिफ्ट किये। हम सब लोगों की यह सोच थी कि वे बच जायेंगे और वापस आयेंगे, लेकिन भगवान की जो इच्छा थी कि बहुत ही अल्प समय में स्वस्थ रहते हुए हमारे बीच से वे विदा हो गये। रायगढ़ में पत्रकारिता का भी एक अलग महत्व है और पत्रकारिता के दृष्टिकोण से भी वे जुड़े रहे। वे एक समाचार पत्र जनकर्म के भी संपादक रहे और लगातार निकालते रहे। वहां का popular समाचार पत्र है और इस प्रकार से अपना सर्वस्व जीवन समाज के बीच में न्यौछावर करने वाले रोशनलाल जी को हमने खोया है। आज मैं दिवंगत आत्मा के प्रति भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। ओम शांति।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश के 4 बहुत ही लोकप्रिय सार्वजनिक जीवन जीने वाले व्यक्तियों का निधन हुआ है, हम उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए खड़े हुए हैं। श्री ओमप्रकाश राठिया जी के साथ इस सदन में हम लोगों को काम करने का अवसर भी मिला था। वे बेहद ही लोकप्रिय, मिलनसार और गरीबों के हितों की लड़ाई लड़ने वाले नेता थे। उनके निधन से हम बहुत ही दुखी हैं।

डॉ. भानुप्रताप गुप्ता जी का हम सब लोंगों से बहुत ही पारिवारिक संबंध था। वह बेहद ही प्रभावशाली और सम्पन्न परिवार से संबंध रखते थे। मुंगेली में उनका घर था । वह छटन के दाऊ जी के दामाद भी थे । वह जरहागांव विधान सभा क्षेत्र से चुनाव डॉ. प्रभात मिश्रा जी के विरूद्ध लड़े थे और वह बहुत ही कश्मकश का चुनाव था । कभी डॉ. भानुप्रताप गुप्ता आगे होते थे, कभी डॉ. प्रभात मिश्रा आगे होते थे । आखिर में मुश्किल से 500 वोटों से उस चुनाव का फैसला हुआ, फिर वह मध्यप्रदेश में कुछ दिनों के लिए स्वास्थ्य मंत्री भी बने । वह एक अच्छे इंसान थे, मिलनसार थे । वह मुंगेली के एस.एन.जी. कॉलेज को चलाते थे। उनका परिवार अभी भी राजनीतिक रूप से बहुत ही दखत रखने वाला परिवार है। उनके निधन से भी व्यक्तिगत रूप से मैं दुखी भी हूं और उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, लक्ष्मण राम जी भी जशपुर जिले के गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले नेता थे ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, रोशनलाल जी से बहुत ज्यादा संबंध तो नहीं था, लेकिन एक बार वह यहां विधायक थे, उस समय हम लोग विधायक नहीं थे । विधान सभा के बाहर वह हनुमान चालीसा का छोटा-छोटा गुटका देते थे । मतलब धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे । जब उनका निधन हुआ तो इतना बड़ा जनसैलाब आया था, हम लोगों ने अखबारों में देखा, जब बिलासपुर में छपा था कि शायद पूरा रायगढ़ उनके सम्मान में सड़क पर था । यह उनकी लोकप्रियता की पहचान थी । यह लोकप्रियता उनको इसलिए मिली कि वह आम लोगों से के थे, आम लोगों ने जुड़े हुए थे । ऐसे लोगों के निधन से छत्तीसगढ़ को अपूरणीय क्षति हुई है इसलिए इन चारों दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं । धन्यवाद ।

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर-चांपा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम सदन में श्री ओम प्रकाश राठिया जी, डॉ. भानुप्रताप गुप्ता जी, श्री लक्ष्मण राम जी, श्री रोशनलाल के निधन पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग ओम प्रकाश राठिया जी के साथ सदन में थे । वह बहुत ही जिंदादिल इंसान थे । वह सामान्य रूप से वनवासी क्षेत्र से आते थे, दूरस्थ क्षेत्र से आते थे, लेकिन उसके

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

बाद भी वह आदिवासी भाइयों के लिए, वनवासियों के लिए हर समय पूरे जीवन भर लड़ाई लड़ी और वह सर्वहारा वर्ग के हितैषी थे ।

मानननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग रोशन भैया की श्रद्धांजलि सभा में गए थे। वह निश्चित रूप से पत्रकारिता से जुड़े हुए थे और रायगढ़ में उनकी जो पहचान थी, वह गरीब तबकों में ज्यादा लोकप्रिय थी । वह व्यावसायिक परिवार से जरूर थे, लेकिन उन्होंने गरीबों की लड़ाई लड़ी थी । पत्रकारिता में भी उनका अच्छा दखल था। जब वे विधायक के रूप में 2013 से 2018 तक इस सदन में रहे तो जो लोग भी रायगढ़ गए, वह उनके कार्यालय में घूमने जाते थे । उनके विधायक का कार्यालय था, उतना व्यवस्थित कोई सरकारी कार्यालय भी नहीं था, जितना व्यवस्थित एक जनप्रतिनिधि के रूप में श्री रोशन लाल जी का कार्यालय था । निश्चित रूप से इन सभी लोगों ने राजनीति के क्षेत्र में, समाज सेवा में अग्रणी भूमिका निभाई थी । हम सब लोग इन सभी दिवंगतों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं ।

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम दिवंगत आत्माओं की शांति लिए खड़े हुए हैं । माननीय ओम प्रकाश जी राठिया हमारे साथ विधायक थे, हमारे मित्र के रूप में हम दोनों एक साथ कई स्थानों में गए और आदिवासियों के विकास के लिए वह अनेक प्रकार की लड़ाई लड़ते थे, जिससे उनकी विचारधारा हमसे मिलती थी, जिसमें हम सहभागी बनकर हमारी सलाह और उनकी सलाह के अनुसार कार्य करते रहे । मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय भानुप्रताप गुप्ता जी अविभाजित मध्यप्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे, जरहागांव क्षेत्र के विधायक थे । उनका हमारे साथ पारिवारिक संबंध था । अध्यक्ष महोदय, निरंजन केशरवानी जी को आप भी जानते हैं, वे दबंग नेता थे । वह लोकसभा के सांसद और विधायक थे, भानुप्रताप जी उनके भांजे थे । अगर मैं भानु गुप्ता जी के बारे में कहूं कि वे हमारे विधायक पद के जन्मदाता थे, हमारे गुरू थे । डॉक्टरी भी करते थे, लोगों की नि:शुल्क सेवा भी करते थे। मुंगेली कॉलेज का एस.एन.जी. का अध्यक्ष भी था। समाज में लोकप्रिय थे और जैसे हमारे माननीय विधायक श्री धर्मजीत जी ने कहा कि उनके छटन में भी ससुरालों से हजारों एकड़ की मालगुजारी प्रथा शासन में भी था और मिश्रा जी से जो लड़ाई लड़े, जो कांग्रेस के बहुत भारी नेता थे, उनसे ही बहुत कम वोटों से जीतकर उन्होंने हांसी से उस समय जनता पार्टी थी और मध्यप्रदेश की सरकार भंग होने के कारण मंत्री पद से वापस आये तो राज्य परिवहन बस में थे, उस समय मोटर सायकल से भोपाल से बस में आये। उस समय की परिस्थिति थी तो उन्होंने कहा कि मोहले जी आप आगे आओ, मैंने कहा, मैं क्यों आऊंगा, मैं सायकल में जरहागांव गया था। मैं कहा क्या चीज में आगे आऊं तो बोले की आपको विधायक बनना है। मैंने कहा, मैं कहां विधायक बनूंगा, मैं गांव में रहता हूं, किसानी करता हूं। ये उनकी खासियत अपने आप थी और उन्होंने कहा कि आप रहेंगे और मुझे पूरे समय तक जब तक थे, साथ दिये। जहां तक

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

आखिरी समय में दो तीन साल पहले भांटापारा में निवास करते थे, भाटापारा में बीमार पड़ने के कारण उनका निधन हुआ, उसे मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री लक्ष्मण राम जी, अविभाजित मध्यप्रदेश शासन के पूर्व संसदीय सचिव थे। इनको भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री रोशनलाल जी के बारे में, हम लोग एक साथ साथी थे। जिलाध्यक्ष थे, उस समय सांसद हुआ करते थे, बैठक होती थी, जाते थे, उनका कार्यालय देखने को मिलता है, जैसे हमारे धर्मजीत जी ने कहा। महिलाओं के संबंध में क्या किया, शिक्षित बरोजगारों के संबंध में क्या किया, गांव वालों के संबध में क्या किया ? बिजली, पानी की अनेक समस्याओं के उनके अलग-अलग फोल्डर थे। वे फोल्डर को विधानसभा में बांटते थे, शायद आप लोगों को भी मिला होगा। उससे ज्यादा हम उनको देखते थे तो आबाद रहते थे, वह आदमी बातों बातों में दिमाग को रोशन करते थे। ऐसे रोशनलाल जी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं सभी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति दे, भगवान उनके चरणों में जगह दे। मैं सबको विनम्र शांति देता हूं।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा (जैजेपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री ओमप्रकाश राठिया जी, डॉ. भानुप्रताप गुप्ता जी, श्री लक्ष्मण राम जी और श्री रोशनलाल जी, जिनको मैं श्रद्धांजलि देने के लिये खड़ा हुआ हूं। डॉ. भानुप्रताप गुप्ता जी से और श्री लक्ष्मण राम जी से तो मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई थी लेकिन श्री ओम प्रकाश राठिया जी से रायगढ़ में एक बार मुलाकात हुई थी। बहुत ही सरल और सहज व्यक्ति थे।

श्री रोशनलाल जी, पिछले सत्र में इस सदन के सदस्य थे, बहुत ही मिलनसार थे और विधानसभा के अलावा उनके संगठन के प्रति उनकी ज्यादा चिंता रहती थी। उनकी असामयिक मृत्यु हुई। मैं अपने दल की तरफ से इन चारों विभूतियों को, जिनको हमने खोया है, श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। धन्यवाद।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सदन के चार पूर्व सदस्यों को आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। चार में से तीन सदस्यों के साथ राजनीतिक क्षेत्र में काम करने का अवसर मिला। आदरणीय ओम प्रकाश राठिया जी, इस सदन के दो बार सदस्य रहे, संसदीय सचिव रहे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि गरीब परिवार में जन्म लेने के पश्चात राजनीतिक क्षेत्र में स्थापित होना और सर्वहारा वर्ग के लिये संघर्ष करना। राठिया जी का पूरा जीवन गरीबों की सेवा के लिये समर्पित रहा।

डॉ. भानुप्रताप गुप्ता जी, 1977 में पहली बार जरहागांव से विधायक बने और बाद में जरहागांव सीट आरक्षित हो गयी तो उनको दोबारा लड़ने का अवसर नहीं मिला। पर राजनीति से सन्यास लेने के पश्चात वे भाटापारा में पिछले सात आठ वर्षों से रह रहे थे। मैंने ऐसा पहला व्यक्ति देखा कि राजनीति से सन्यास लेने के पश्चात, राजनीतिक चर्चा से भी भागता हो। मैं जब भी मिलता था और उनसे

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

व्यक्तिगत निवेदन करता था कि भैया अब आप भाटापारा में रह रहे हो, भाटापारा पार्टी की बैठकों में आओ तो बोलते थे कि शिवरतन मैंने राजनीति बहुत कर लिया ली, अब मैं अध्यात्म के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में काम करना चाहता हूं। उनकी उपस्थिति भाटापारा के सारे धार्मिक आयोजनों में रहती थी। श्री रोशनलाल जी अग्रवाल, सन् 2013 से 2018 तक इस सदन के सदस्य रहे हैं। वास्तव में क्षेत्र के विकास के लिए उनके मन में जो ललक थी और जो प्रयास करते थे, मैंने उसको व्यक्तिगत रूप से देखा है। बीते 5 वर्षों में रायगढ़ विधानसभा इकलौती ऐसी विधानसभा थी, जहां 3 महाविद्यालय खुले। वे लगातार पीछे लगे रहते थे। वे डाक्टर साहब के पीछे लगे रहते थे, प्रेमप्रकाश पाण्डेय जी के पीछे लगे रहते थे कि मेरे यहां खोले। जब स्वच्छ भारत अभियान की शुरूआत हुई तो मैं समझता हूं कि वे विधायकों में इकलौते ऐसे विधायक थे, जो सप्ताह में एक दिन की सिर्फ फार्मेलिटी पूरी नहीं करते थे। वे लगातार 7 से 8 घण्टे स्वच्छता अभियान के लिए रायगढ़ में काम करते थे। जब रायगढ़ में एक बार डेंगू फैला तो वे लगातार 15 दिन स्वच्छता अभियान चलाया। उनका कार्यालय बहुत व्यवस्थित था। उनके साथ एक बड़ी बात यह थी कि वे बोलने में बड़े स्पष्ट थे। राजनीतिक व्यक्ति कटु बात को बोलने में घबराता है। परन्तु हमारे रोशन भैय्या ऐसे थे कि जितनी भी कड़वी बात हो, सामने वाले को अच्छी लगे, कड़वी लगे, सामने वाले के मुंह में बोलते थे। वे स्पष्टवादी थे। आज वे हमारे बीच नहीं हैं। स्व. लक्ष्मण जी से तो कभी व्यक्तिगत रूप से मिलने का अवसर नहीं मिला। मैं चारों सदस्यों के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- मैं सदन की ओर से शोकाकुल परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। दिवंगतों के सम्मान में अब सदन दो मिनट का मौन धारण करेगा।

(सदन द्वारा खड़े रहकर दो मिनट का मौन धारण किया गया)

अध्यक्ष महोदय :- ओम शांति। दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित।

(11:29 से 11:36 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय:

11.36 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)**

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी एक दिन उत्तर दिये, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, किसी दिन बजट प्रस्तुत करवा देते थे, किसी दिन कुछ करवा देते थे। आज उनका फ्लोर मैनेजमेंट ठीक नहीं है, आज मुख्यमंत्री जी को खड़ा होना पड़ेगा और इस सत्र के पहले प्रश्न दिवस में आपका स्वागत है।

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

मस्तुरी विधान सभा क्षेत्र में खनिज न्यास निधि से आवंटित राशि

1. (*क्र. 400) डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2020 तक जिला खनिज न्यास निधि मद (डी.एम.एफ.) अंतर्गत मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र हेतु किन-किन विभागों को किस-किस कार्य हेतु कितनी राशि का आवंटन किया गया, कार्य एजेंसी किसे बनाया गया है? (ख) प्रश्नांश "क" अनुसार किन-किन विभागों द्वारा कितने-कितने हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2020 तक जिला खनिज संस्थान न्यास निधि मद (डी.एम.एफ.) अंतर्गत मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र हेतु विभागों को स्वीकृत कार्यों, आवंटित राशि एवं कार्य एजेंसी की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. (ख) प्रश्नांश "क" अनुसार महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 9,269, कृषि विभाग द्वारा 1135 एवं उद्यानिकी विभाग द्वारा 3,077 कुल 13,481 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है.

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पहले प्रश्न पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रश्न पूछ रहा हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रश्न करना चाहता हूं कि मस्तुरी विधानसभा में डी.एम.एफ. फंड से विभागों को जो पैसे का आवंटन किया गया है उसकी उपयोगिता सिद्ध नहीं होती बल्कि विभागों को केवल एक प्रकार से मात्र सप्लाई का ही खेल खेला जा रहा है। जबकि एक उदाहरण बताता हूं कि स्वास्थ्य विभाग में इन्होंने सप्लाई की लेकिस सी.एच.सी. मस्तुरी में एक्स-रे बंद है लेकिन उसके लिए इनके विभाग के द्वारा कोई निर्णय नहीं हुआ। उसकी व्यवस्था को सुचारू रूप से करने के लिए इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। करोड़ों रूपये अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए दिये गये लेकिन पातालेश्वर महादेव में अनुसूचित जाति का हॉस्टल पूरी तरह जर्जर हो चुका है, खत्म हो चुका है। उसके लिए इनके पैसे का उपयोग करेंगे या नहीं करेंगे?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- महोदय, प्रश्न कीजिए ना, ऐसे भी आधा घंटा हो गया है।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- डॉ. साहब, भाषण मत दे ना, प्रश्न कर ना।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो यही कह रहा हूं कि इन पैसों का उपयोग विभाग अनुसूचित जाति के भवन बनाने के लिए करेगा क्या? क्या अनुसूचित जाति का हॉस्टल बनाने के लिए किया जायेगा क्या? सी.एच.सी. हास्पिटल मस्तुरी की व्यवस्था को बनाने के लिए एक्स-रे संचालित किया जायेगा क्या? एक स्कूल है, उस स्कूल की शिफ्टिंग के लिए, उसका भवन बना हुआ है, स्वीकृत हो गया है, बिजली का काम है उसको हटाने के लिए क्या मंत्री जी इस बजट के पैसे का उपयोग करवा रहे हैं क्या या केवल सप्लाई-सप्लाई? फर्नीचर सप्लाई करो, किट सप्लाई करो और केवल सप्लाई-सप्लाई क्या हो यह तय कर लें।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार बनते ही हम लोगों ने डी.एम.एफ. के शासी परिषद में प्रभारी मंत्री को अध्यक्ष बनाया था और माननीय विधानसभा सदस्यों को उसका सदस्य रखा गया। जो स्वीकृतियां होती हैं उसमें वह सब भागीदार रहते हैं। बिलासपुर डी.एम.एफ. की जब प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में मीटिंग होती है तो उसमें कलेक्टर सदस्य सचिव होते हैं और उसमें जो फैसले होते हैं उसके अनुरूप होता है। अब उसमें गाईडलाईन बनी हुई है कि किस मद में, किस कार्य में कितना-कितना खर्च किया जा सकता है और किसमें दिया जा सकता है, किसमें नहीं दिया जा सकता। निर्माण में कितना दिया जाना है, व्यक्तिमूलक कार्यों में कितना दिया जाना है वह सारी गाईडलाईन है और उस गाईडलाईन के हिसाब से स्वीकृत होता है और उसमें आता है तो निश्चित रूप से आप माननीय सदस्य हैं, उसमें आप स्वीकृत कराईये।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, मांग तो करते हैं पर स्वीकृत हो तब ना। केवल सप्लाई वाला विषय आ जाता है। अब ये सी.एच.सी. है, स्वास्थ्य विभाग को आपने बजट एलॉटमेंट किया, क्या सी.एच.सी. में एक्स-रे चालू करने के लिए इससे पर्याप्त बजट उपलब्ध करा सकते हैं?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कराया जा सकता है, इसमें कहीं कोई रोक नहीं है।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा हॉस्टल जर्जर है, पातालेश्वर में अनुसूचित जाति के लिए एक बहुत बड़ा हॉस्टल है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर आने दीजिए ना। इसमें हमने निर्माण कार्य के लिए 20 प्रतिशत रखा था। अब जिस प्रकार से माननीय डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी जी कह रहे हैं कि हॉस्टल जर्जर है या वहां एक्स-रे मशीन करना है। वहां एक्स-रे मशीन लेना है तो उसके लिए तो क्रय करना पड़ेगा। यदि हॉस्टल के लिए है तो यदि 20 प्रतिशत की राशि कम पड़ती है और माननीय सभी सदस्य इससे सहमत हैं तो उसको बढ़ाया जा सकता है। उसमें कोई बात नहीं है। सब लोग सहमत हो तो

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

20 प्रतिशत की जगह 40 प्रतिशत किया जा सकता है, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि जो हितग्राही मूलक है उसको हमारी प्राथमिता देने की शुरू से रही है और उसी आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मोहले जी।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां पर एक्स-रे मशीन है, लेकिन वहां पर बिजली की कमी है, बजट की कमी के कारण वह एक्स-रे मशीन चालू नहीं हो पा रहा है। विभाग यह प्रस्ताव दे रहे हैं कि हमें एक्स-रे मशीन के लिए बिजली की पर्याप्त व्यवस्था करें, पर उसको नहीं दे रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि केवल सप्लाई जा रही है।

श्री भूपेश बघेल :- मतलब यह तो काम आपको करना है अब उसके बाद आप मुझे कह रहे हैं। मैं इस सदन के माध्यम से आपको आश्वस्त करता हूँ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रभारी मंत्री जी अच्छे से सुनते हैं।

श्री भूपेश बघेल :- आप उत्तर भी नहीं सुनना चाहते।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन विभाग को जिस तरीके से आ रहा है। विभाग गंभीरता से नहीं ले रहा है। उस पैसे का अच्छे से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर देना चाह रहा हूँ। अब वह उत्तर नहीं लेना चाहते तो मैं क्या करूं ?

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूॅं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि डी.एम.एफ. मद का उपयोग होता है उसकी गाईडलाईन बनी है। गाईडलाईन में प्रस्ताव पास हुआ और गाईडलाईन के अंतर्गत 20 प्रतिशत राशि करना है, निर्माण कार्य में विधायक को प्रतिनिधि रखे हैं, मैं अपना प्रस्ताव दे देता हूँ तो उस प्रस्ताव में 40 प्रतिशत अधोसंरचना में करेंगे क्या ?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे यह प्रश्न मस्तूरी विधान सभा से संबंधित है और आपने पूरा व्यापक रूप से पूछ लिया है। मैंने पहले ही कहा कि सदन इससे सहमत है तो निश्चित रूप से 40 प्रतिशत किया जा सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- अजय चन्द्राकर जी, आप मस्तूरी से संबंधित प्रश्न पूछिए।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- कुरूद में कहां पहुंच गे, तेला बता ?

श्री अजय चन्द्राकर :- महापरसाद तोला भगवान सद्बुद्धि दे।
माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक बहुत छोटा सा प्रश्न है कि डी.एम.एफ. मद में जो भी आपने मापदण्ड बनाया है उसमें स्वशासी समिति या जो भी समिति है वह तय करती है या विधायकों या निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा भी ली जाती है ? मुझको यह जानना था।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, देखिए जो समिति बनी है। आप लोगों ने तो कलेक्टर का बना दिया था। हम लोग विधायक थे तो हम लोगों को रखे भी नहीं थे। श्री टी.एस. सिंहदेव

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

जी नेता प्रतिपक्ष थे, वह बार-बार बोलते रहे कि कम से कम विधायकों को रख दीजिए, कितनी बार बात हुई, कितने लम्बे डिस्कशन्स हुए, लेकिन आपने सुना-अनसुना कर दिया, लेकिन अभी हम लोगों ने न केवल विधायकों को रखा है बल्कि उसमें पंचायत स्तर के लोगों भी 10 प्रतिशत रखा है, इसमें सरपंचों को भी सदस्य रखा है और निर्णय तो आखिर स्वशासी परिषद ही करता है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि उसमें जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा की कोई भूमिका नहीं है? या भूमिका है?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा की भूमिका क्यों नहीं है। जब आप सदन के सदस्य हैं और आपकी अनुशंसाएं हैं और उसके अनुसार ही तो काम होता है।

श्री अजय चन्द्राकर :- तो आपको एक सूचनार्थ दे देता हूँ। दो साल में मेरी अनुशंसा में एक रूपये का काम नहीं हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- वह अलग बात है।

श्री अजय चन्द्राकर :- यह आपको बता देता हूँ। आप जो कह रहे हैं।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मस्तूरी विधान सभा का है। एक मिनट। यह मस्तूरी विधान सभा से संबंधित स्पेसिफिक प्रश्न है। अब आप कुरूद पहुंच गये। इसलिए डॉ. शिवकुमार डहरिया ने कहा था कि आप कुरूद कहां पहुंच गये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की भूमिका के बारे में कहा इसीलिए मैं बताया कि भूमिका नहीं है।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- महोदय, यदि आप बैठक में आते तो जरूर आपकी बात सुनी जाती। आप बैठक में आते ही नहीं हैं।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की भूमिका है। यदि उस गाईड लाईन के हिसाब से आप अनुशंसा नहीं देंगे, तो थोड़ी स्वीकृत होगा। जो गाईड लाईन है उसके अनुसार ही आपको अनुशंसा करना पड़ेगा। तब आपके कार्य स्वीकृत होंगे।

अध्यक्ष महोदय :- बृहस्पत सिंह जी मस्तूरी का प्रश्न है आप मस्तूरी तक ही रहिएगा।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं खनिज न्यास से संबंधित निवेदन करूंगा। अपने जिले में हम लोगों ने खनिज न्यास के पैसे से ही ब्लड बैंक की स्थापना की।

अध्यक्ष महोदय :- यह मस्तूरी विधान सभा का प्रश्न है। आप कहां पहुंच गये।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, खनिज न्यास बहुत जीवन दायिनी है। ब्लड बैंक से लेकर डायलिसिस से लेकर, डॉक्टरों से लेकर सारी स्वास्थ्य व्यवस्था हम लोगों ने की है। आज वहां उस जिले में आंख और सभी विशेषज्ञ डॉक्टर हो गए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कि ऐसी नीति बनाई। वहां के प्रभारी मंत्री और विधायक लोग ही तय करते हैं, अनुशंसा की बात कहां आ गई। आप 15 साल सरकार में रहे, अनुशंसा की बात कहां आ गई ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी जी ने मेरी तरफ इशारा करके कहा कि प्रभारी मंत्री सुनते हैं, पर उपयोग नहीं करते।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उपयोग नहीं ..।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा और जैसा कि अजय चन्द्राकर जी का प्रश्न था। मेरे यहां बिलासपुर में जो सभी सदस्य हैं, धरमलाल कौशिक जी भी बैठे हैं, सभी सदस्यों ने को मैंने यह कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो 6 योजनायें हैं, उनमें आप अपने में जितना प्रस्ताव देना है, दे दीजिए। मैंने खुले तौर पर इनसे कहा। अधिकारियों से भी कहा कि इन सब योजनाओं का प्रस्ताव जनप्रतिनिधि दें, वह भी, आप लोग भी अपने स्तर पर ग्राउण्ड लेबल तक जितना है, सब प्रस्ताव ले आयें, सभी की इच्छा के अनुसार 30-40 करोड़ रुपये की स्वीकृति जो इनका प्रस्ताव था और अधिकारियों ने दिया था, वह किया गया है।

अध्यक्ष महोदय :- अंतिम प्रश्न पूछ लीजिए।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बच्चों और गर्भवती माताओं कुपोषण को दूर करने के के लिए लगभग 1 करोड़ रुपये दिये गये हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस पैसे का उपयोग कहां-कहां किया गया है, किस-किस गांव में कितने कुपोषित लोगों की संख्या है और कितनी-कितनी राशि दी गई है?

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 15 साल तक डी.एम.एफ. फंड का उपयोग कहां-कहां किया गया, आप इसकी भी जानकारी दे देते।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न क्रमांक-2 श्री किस्मतलाल नंद जी।

<u>सरायपाली तथा बसना विकासखण्ड में कृषकों से अस्थायी विद्युत कनेक्शन के प्राप्त आवेदन</u>

2. (*क्र. 157) श्री किस्मतलाल नन्द : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सरायपाली एवं बसना ब्लाक में 1 जनवरी, 2020 से 30 दिसंबर, 2020 तक कितने किसानों एवं उपभोक्ताओं में अस्थायी विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन किया था? कितने का TC जारी किया गया?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : प्रश्नाधीन अवधि में सरायपाली विकासखण्ड से 589 कृषकों एवं 107 अन्य उपभोक्ताओं से कुल 696 आवेदन एवं बसना विकासखण्ड के 811 कृषकों एवं 77 अन्य उपभोक्ताओं से कुल 888 आवेदन अस्थायी विद्युत कनेक्शन हेतु प्राप्त हुआ था. इनमें से सरायपाली विकासखण्ड के 579 कृषकों को तथा 98 अन्य उपभोक्ताओं कुल 677 को अस्थायी कनेक्शन प्रदान किया गया है. बसना विकासखण्ड के सभी 888 आवेदकों को अस्थायी कनेक्शन प्रदान किया गया है.

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री किस्मतलाल नंद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रश्न किया था कि सरायपाली एवं बसना ब्लाक में 1 जनवरी, 2020 से 30 दिसंबर, 2020 तक कितने किसानों एवं उपभोक्ताओं से अस्थायी विद्युत कनेक्शन हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए उसमें से कितने आवेदनों का निराकरण किया गया ? माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरे प्रश्न का उत्तर मिल चुका है और मैं प्रश्न के उत्तर से संतुष्ट हूं।

<u>जिला जशपुर में शुद्ध पेयजल व्यवस्था हेतु आवंटित एवं व्यय राशि</u>

3. (*क्र. 459) श्री विनय कुमार भगत : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जशपुर में वर्ष 2019-20 से जनवरी, 2021 तक शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हेतु केन्द्र तथा राज्य सरकार की किस-किस योजना के तहत् कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य हेतु आवंटित हुई? विकासखण्डवार जानकारी देवें? (ख) उक्त अवधि में कितने नलकूप खनन किए गए? कितने सफल/असफल रहें? तथा उनमें कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? विकासखंडवार जानकारी देवें?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरू रूद्र कुमार) : (क) जिला जशपुर में वर्ष 2019-20 से जनवरी, 2021 तक शुद्ध पेयजल हेतु केन्द्र तथा राज्य सरकार की योजनावार/कार्यवार आवंटित राशि की जानकारी †† संलग्न[1] प्रपत्र "अ" में दर्शित अनुसार है. विकासखण्डवार राशि आवंटन नहीं किया जाता है, वरन जिले को राशि आवंटित की जाती है. जिलेवार आवंटित राशि की जानकारी संलग्न परिशिष्ट-"अ" के कॉलम 4 में दर्शित अनुसार है. (ख) उक्त अवधि में 452 नग नलकूप खनन किये गये. खनित नलकूपों में 411 सफल एवं 41 असफल रहे. इनमें कुल राशि रु. 468.25 लाख व्यय हुई है. विकासखण्डवार जानकारी †† संलग्न प्रपत्र "ब" में दर्शित अनुसार है.

श्री विनय कुमार भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे मंत्री जी का उत्तर मिल गया है। मेरे विधानसभा क्षेत्र जशपुर के अंतर्गत बगीचा विकासखंड में कमारिमा पंचायत, गिदहा पंचायत, पनरापाट पंचायत में पिछड़ा जनजाति के पहाड़ी कोरवा निवासरत हैं, यहां पर उनके लिए पीने के पानी का अभी भी अभाव है- जैसे मेहुआटोली, बस्ती, दतनपानी, टांगरपानी, कदमपाट, सालियापाट। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आप इन गावों में नलकूप खनन कर देंगे ? क्या आप इस कार्य को प्राथमिकता से करवायेंगे ? अभी गर्मी की ऋतु आने वाली है, क्या गर्मी का मौसम आने से पहले खनन करवा देंगे ?

श्री गुरू रूद्र कुमार :- जी, बिल्कुल करवा देंगे।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

---
[1] परिशिष्ट "दो"

श्री विनय कुमार भगत :- माननीय अध्यक्ष महादेय, मेरे प्रश्न में उत्तर में 41 असफल नलकूप की बात आई है, क्या आप इन जगहों में कोई वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे ?

श्री गुरू रूद्र कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दरअसल वहां की जमीन 100 फीट से 200 फीट के बीच में भसक जाती है, इसके कारण थोड़ी समस्या आती है। अधिकांश बोर सफल हुए हैं। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको यह भी जानकारी देना चाहूंगा आपके विधानसभा क्षेत्र में 87 नई नलजल योजना तैयार हो चुकी है।

श्री विनय कुमार भगत :- जी, धन्यवाद।

राज्य शासन द्वारा लिया गया ऋण

4. (*क्र. 494) श्री शिवरतन शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 18 दिसम्बर से 30-01-2021 तक राज्य शासन ने कितना-कितना ऋण किस-किस एजेंसी से कब-कब लिया है?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : प्रश्नांकित अवधि में † संलग्न परिशिष्ट में दिये गये विवरण अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से बाजार ऋण, नाबार्ड की ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि, केन्द्र सरकार के माध्यम से जीएसटी ऋण तथा एशियन डेवलपमेंट/विश्व बैंक से कुल 36,170 करोड़ ऋण लिये गये है.

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न को पूरी तरह संशोधित कर दिया गया है। मैंने तीन बिन्दुओं में प्रश्न पूछा था और एक बिन्दु में उत्तर आया है।

अध्यक्ष महोदय :- एक बिन्दु पर ही प्रश्न पूछिये न।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया है कि 18 दिसंबर से अब तक 36,170 करोड़ रुपये का ऋण प्रदेश सरकार ने लिया है। आज जी 37 नंबर में माननीय नेता प्रतिपक्ष जी का प्रश्न लगा है। नेता प्रतिपक्ष जी के प्रश्न में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया है कि 1 दिसंबर 2018 से 29.1.2021 तक 41,239 करोड़ रुपये का ऋण लिया गया है। लगभग-लगभग 5 हजार करोड़ रुपये का अंतर है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस उत्तर को सही मानें या धरमलाल कौशिक जी के प्रश्न के उत्तर को सही मानें ? दूसरा यह जो ऋण लिया गया है, इस ऋण का राजस्व व्यय कितना हुआ है और पूंजीगत व्यय कितना हुआ है ? इसकी जानकारी दे दें।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें स्पष्ट उत्तर आया है कि 18 दिसंबर से लेकर 30.01.2021 तक जो ऋण लिया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से बाजार ऋण, नाबार्ड की ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि, केन्द्र सरकार के माध्यम से जीएसटी ऋण तथा एशियन

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

डेवलपमेंट/विश्व बैंक से कुल 36,170 करोड़ ऋण लिये गये है। दूसरा जब लोन लेते हैं तो एक पर्टिकूलर किसी मद के लिये नहीं लिया जाता है, लोन लिया जाता है यानी सरकार ऋण लेती है और उसमें खर्च करती है । यह बता पाना संभव नहीं है कि राजस्व व्यय के लिये है कि ऋण के लिये है या किस मद के लिये है क्योंकि राज्य सरकार लोन लेती है और उसके बाद व्यय करती है क्योंकि सरकार के पास बहुत सारे काम हैं तो कौन सी राशि किसमें गयी यह तो बता पाना संभव नहीं है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत स्पष्ट प्रश्न किया था । आज ही इसमें दो प्रश्न प्रिंट हुए हैं । मेरे प्रश्न में माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि 36 हजार, 170 करोड़ रूपए का ऋण लिया गया और माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के प्रश्न में माननीय मुख्यमंत्री जी का जवाब है कि 41 हजार, 239 करोड़ रूपए का ऋण लिया गया । यह उत्तरों में अंतर आ रहा है तो क्या आपने 36 हजार, 170 करोड़ रूपए का ऋण लिया है या 41 हजार, 239 करोड़ रूपए का ऋण लिया है ? दोनों इसी में प्रिंट है । आप यह बता दें कि इसमें सही जवाब कौन सा है?

श्री भूपेश बघेल :- यदि आपको किसी प्रकार की शिकायत है तो आप प्रश्न संदर्भ समिति में उसकी शिकायत कर सकते हैं, आप कह सकते हैं और उसके बाद उसके बारे में चर्चा हो सकती है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या मुझे यहां पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार है ? आप अपने प्रश्न का उत्तर सुनिए न ।

श्री भूपेश बघेल :- देखिये, आपको प्रश्न पूछने का अधिकार है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे प्रश्न पूछने का अधिकार है लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं । एक ही प्रश्न का अलग-अलग उत्तर आ रहा है ।

श्री भूपेश बघेल :- कोई सदन को गुमराह नहीं किया जा रहा है । देखिये, आपके पास कोई प्रश्न है ही नहीं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- एक तरफ आप बोल रहे हैं कि 36 हजार, 170 करोड़ रूपए का ऋण लिया गया और दूसरी तरफ आप बोलते हैं कि 41 हजार, 239 करोड़ रूपए का ऋण लिया गया । मेरे पूरक प्रश्न का उत्तर तो आना चाहिए ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके पास पूरक प्रश्न है ही नहीं और इसीलिये ये सदन को गुमराह करने की बात कर रहे हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर आना चाहिए । प्रश्न संदर्भ समिति में जाने का सवाल नहीं है, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत स्पष्ट प्रश्न किया है कि आपने जो ऋण लिया है तो 36 हजार, 170 करोड़ रूपए का ऋण लिया या 41 हजार, 239 करोड़ रूपए का ऋण लिया है ? इस बात को स्पष्ट कर दें ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृहस्पत सिंह :- श्री शर्मा जी, आप पढ़कर देख लीजिये कि जो नियम-प्रक्रिया बना है उसके अनुरूप है । जो नियम-प्रक्रिया आपने विधानसभा में बनाया है उसी के अनुरूप है उसको पढ़कर देख लीजिए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- उत्तर कहां है ? इसमें कोई उत्तर नहीं है । माननीय मुख्यमंत्री जी प्रश्न संदर्भ समिति का कह रहे हैं ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- आपने जो प्रश्न किया उसका उत्तर आया है और श्री धरमलाल कौशिक भैया क्या प्रश्न करते हैं उसके बाद फिर आप उत्तर ले लीजिएगा ।

श्री शिवरतन शर्मा :- उत्तर नहीं आया है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- जो नियम-प्रक्रिया है उसके तहत् किया गया है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- ऐसा है एक ही दिन, एक ही प्रश्न सूची में अलग-अलग उत्तर है तो इस उत्तर का निराकरण तो इस सदन में ही होना चाहिए ।

श्री रविन्द्र चौबे :- दोनों का संदर्भ अलग है, दोनों की तारीख अलग है । ऐसा थोड़ी होता है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- इस सदन में ही इसका उत्तर आना चाहिए ।

श्री भूपेश बघेल :- यह अतारांकित है ।

अध्यक्ष महोदय :- आपका प्रश्न और माननीय धरमलाल कौशिक जी के प्रश्न में अंतर है । मूलभूत अंतर है, उसको देख लीजिए । आप उसमें परेशान मत होईए, आप देख लीजिए ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह नहीं है । सामान्य सा प्रश्न है । हम यहां पर सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछते हैं उसका उत्तर आता है । यदि हम प्रश्न संदर्भ समिति को जायेंगे तो फिर सप्लीमेंट्री उत्तर की क्या आवश्यकता है ?

श्री अजय चंद्राकर :- समिति में जाने का निर्णय आसंदी करेगा । नीचे से उसका निर्णय थोड़ी होगा । (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- उसमें केवल इतना ही है कि जवाब आना चाहिए । (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इनसे आग्रह है । निवेदन है कि हम लोग भी विपक्ष में थे और सवाल करते थे लेकिन यह नहीं कहते थे कि इस प्रश्न में यह उत्तर है और इस प्रश्न में यह उत्तर है । आप प्रश्न करिए न, हमने बता दिया कि 36 हजार, 170 करोड़ रूपए लोन लिया, आपने पूछा कि इसको किसमें खर्च किया, राजस्व में किया कि किसमें किया वह भी हमने बता दिया अब आपके पास कोई तीसरा प्रश्न हो तो बता दीजिये, हम उत्तर देंगे । अब उसमें क्या उत्तर दिये हैं, वह जब आयेगा तो उसका उत्तर देंगे ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो मैंने जो प्रश्न पूछा कि इसमें राजस्व व्यय कितना हुआ, पूंजीगत व्यय कितना हुआ इसकी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं दी, नंबर

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

वन और नंबर टू आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया । इसी सदन में आज की तारीख में ही दो प्रश्न लगे हैं और दोनों प्रश्नों का उत्तर अलग-अलग आ रहा है तो प्रश्न पूछने का अधिकार तो है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आप जो बोल रहे हैं कि अंतर है, मैंने जो प्रश्न किया है उसमें लिखा है कि 18 दिसंबर से लेकर अब तक कितना ऋण लिया और माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने जो पूछा है वह दिसंबर से पूछा है ।

अध्यक्ष महोदय :- आप नेता प्रतिपक्ष पर क्यों जा रहे हैं, आप अपनी बात कहिए न । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नेताप्रतिपक्ष जी के प्रश्न में भी उत्तर आया है और दोनों से संबंधित उत्तर है ।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- आप सीधा-सीधा प्रश्न क्यों नहीं करते हैं? (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- इस पर प्रश्न पूछने का मुझे अधिकार है । (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- अभी तक इनके तांक-झांक करने की आदत गई नहीं है । आप सीधा-सीधा प्रश्न किया कीजिये, यह इधर-उधर तांक-झांक करना ठीक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- बैठिए ।

श्री बृहस्पत सिंह :- आप नेता जी के अधिकारों का हनन कर रहे हैं, यह बहुत गंभीर बात है ।

अध्यक्ष महोदय :- उसमें आपका जो प्रश्न है । आप अपने प्रश्न का उत्तर मांगिए, पूरक प्रश्न करिए, कोई आपत्ति नहीं है लेकिन उसने क्या किया, आप उस पर उत्तर मांगेंगे यह उचित नहीं है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि राज्य सरकार के ऋण लेने की अधिकतम् सीमा क्या है और ये जो ऋण लिए गये हैं, इनको लेने की शर्तें क्या हैं और हमको कितना ब्याज पटाना पड़ेगा ? इसकी जानकारी दे दें ।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, वैसे तो जीएसडीपी के 25 प्रतिशत तक का लोन ले सकते हैं, हम 20 प्रतिशत की सीमा तक हैं । ब्याज देने के लिए और ऋण पटाने के लिए अलग-अलग लोन की अलग-अलग शर्तें होती है । कोई ऋण 30 साल के लिए रहता है, कोई 50 साल के लिए रहता है, कोई 5 साल के लिए रहता है, कोई 10 साल के लिए रहता है । अलग-अलग ब्याज दरें रहती हैं, इसलिए यदि आप किसी पर्टिक्यूलर के बारे में पूछेंगे तो मैं आपको बता दूंगा ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

<u>रायगढ़ में जिंदल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड को डीसीडीएस विद्युत लाईन निर्माण की स्वीकृति</u>

5. (*क्र. 75) श्री प्रकाश शक्राजीत नायक : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मेसर्स जिंदल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, रायगढ़ को अतिरिक्त जल की आपूर्ति हेतु ग्राम कलमा के समीप स्थापित किये जा रहे स्वयं के पंप हाऊस तक कितने कि.मी. एवं कितने के.व्ही. डीसीडीएस

विद्युत पारेषण लाईन निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है? (ख) डीसीडीएस विद्युत लाईन निर्माण की स्वीकृति रेलपोल से दी गई है या टॉवर के माध्यम से? (ग) क्या भू-स्वामी एवं सक्षम अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया गया, क्या निर्माण की शर्तों व नियमों का पालन किया गया है? (घ) यदि विद्युत लाईन निर्माण में प्रश्नांक "ग" अनुसार नियम व शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है तो संबंधित के ऊपर क्या कार्यवाही की गई?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) मेसर्स जिंदल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड रायगढ़ को अतिरिक्त जल की आपूर्ति हेतु संयंत्र से कलमा बैराज तक लगभग 35 कि.मी. लंबी एवं 33 के.व्ही. डीसीडीएस लाईन निर्माण हेतु अनुमति प्रदान की गई है. (ख) टॉवर/टावरों एवं खंभा/खंभों की स्थापना कर उत्तरांश"क" में वर्णित डीसीडीएस विद्युत लाइन निर्माण की स्वीकृति दी गई है. (ग) जिंदल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड रायगढ़ द्वारा भू-स्वामी एवं सक्षम अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर उपलब्ध कराये है. 126 भू-स्वामियों की सूची ††[2] संलग्न परिशिष्ट में संलग्न है. निर्माण की शर्तों व नियमों का पालन नहीं किये जाने के संबंध में प्राप्त शिकायत की जांच जिला स्तर पर प्रक्रियाधीन है. (घ) उत्तरांश "ग" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद्भूत नहीं होता.

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जिंदल पावर से कलमा तक डीसीडीएस विद्युत लाईन का निर्माण किया जा रहा है, उसके संबंध में प्रश्न किया है । मैं यह पूछना चाहता हूं कि 33 के.व्ही. लाईन के लिए अनुमति दी गई थी और 33 के.व्ही. लाईन सामान्यत: रेल पोल से ही जाती है । जहां नहर या कोई रोड क्रॉस करना होता है तो वहां टावर लगाया जाता है लेकिन जिंदल द्वारा पूरे लाईन को टावर से ले जाया जा रहा है और 66 के.व्ही. या उससे ज्यादा की लाईन जाती है तब टावर से ले जाते हैं । इनके द्वारा बिना अनुमति के हर जगह टावर लगाया रहा है । इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी और उन्होंने जो 126 लोगों को मुआवजा दिया है, जबकि 33 के.व्ही. लाईन में मुआवजा देने का कोई प्रावधान भी नहीं है । अगर मुआवजा दिया है तो लगभग 1 हजार किसान हैं, जिन्हें मुआवजा दिया जाना चाहिए । लेकिन अभी तक नहीं दिया गया है ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कलमा बैराज तक 35 किलो मीटर लम्बी 33 के.व्ही. डीसीडीएस लाईन निर्माण की अनुमति प्रदान की गई है । यह 2010 से प्रचलित है । उस समय आवेदन हुआ था और लगातार उसके समय में वृद्धि होती गई और माननीय सदस्य का जो प्रश्न है कि केवल रेल टावर से किया जाएगा, ऐसा नहीं है । उसमें टावर/टावरों एवं खंभा/खंभों की स्थापना, यह उनको अनुमति मिली है । अब वे चाहे खंभों में ले जाएं चाहे टावर में ले जाएं, चाहे रेल खंभे में ले जाएं । यह अनुमति उनको मिली हुई है, इसलिए इसको प्रदान किया गया है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

††[2] परिशिष्ट "चार"

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से प्रश्न है कि उसमें लगभग 1 हजार किसान प्रभावित हो रहे हैं । मात्र 126 को ही अभी तक मुआवजा दिया गया है, शेष को बिना मुआवजा दिये लाईन पूर्णता की ओर है । यह कैसे संभव है कि मुआवजा दिये लाईन ले जाए और इसमें बाकायदा किसानों ने असहमति जाहिर की है कि हमें मुआवजा नहीं मिला है और हमारे खेत में टावर गाड़ दिया गया है । मैं चाहता हूं कि इस पर जांच करके कार्रवाई की जाए ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल 126 भूमि स्वामियों की सूची परिशिष्ट एक में है और एक किसान ने कलेक्टर के पास शिकायत की थी, उसका भी निराकरण हो गया है और उसमें कहा गया है कि यदि 1 करोड़ 2 लाख रूपए मुआवजा दिया जाता है तो उसमें टावर लगाया जा सकता है । अब उस शिकायत का भी पटाक्षेप कलेक्टर के द्वारा किया जा चुका है ।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने असहमति जाहिर की है उसकी सूची मेरे पास है । जब ये लोग असहमत हैं तो उनके खेत में टावर कैसे गाड़ दिया जाता है ?

अध्यक्ष महोदय :- डॉ. लक्ष्मी ध्रुव ।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- अध्यक्ष महोदय, किसानों के हित में यह प्रश्न जरूरी है । मैं केवल इसका जवाब चाहता हूं कि इन्हें मुआवजा कब तक मिल जाएगा?

श्री भूपेश बघेल :- टोटल 126 किसान हैं । एक किसान की शिकायत थी उसका भी निराकरण कलेक्टर ने कर दिया है । कल ही की सूचना और उसका फैसला आ चुका है इसलिए अब इसमें किसी प्रकार की शिकायत रही नहीं ।

<u>जिला धमतरी में संचालित भारत नेटवर्क योजना के सर्विस केन्द्र</u>

6. (*क्र. 514) डॉ. लक्ष्मी ध्रुव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धमतरी जिले में भारत नेटवर्क योजना के तहत कितने ग्राम पंचायतों में ऑनलाईन नक्शा, खसरा, जाति प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाईन सर्विस केंद्र शुरू किये गये हैं? वर्तमान में कितने ऑनलाईन सर्विस केन्द्र चल रहे हैं? कितने बंद हैं? विकासखण्डवार जानकारी देवें? (ख) योजनांतर्गत कितने सर्विस सेंटरों में वाईफाई कनेक्शन दिया गया है? क्या वर्तमान में राशि का नियमित भुगतान नहीं होने के कारण सेंटर बंद हैं? यदि हां, तो कब तक इन्हें भुगतान कर सर्विस सेंटरों को पुनः चालू किया जावेगा?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) भारत नेटवर्क योजना नहीं अपितु भारतनेट योजना है, जो भारत सरकार द्वारा संचालित है. प्रश्नाधीन जिले की 187 ग्राम पंचायतों में ऑनलाईन सर्विस केन्द्र प्रारंभ किये गये थे. इनमें से 172 चालू हैं तथा 15 केन्द्र फाइबर कट के कारण बंद हैं. विकासखण्डवार जानकारी ‡ संलग्न परिशिष्ट पर है. (ख) समस्त 187 केन्द्रों में वाई-फाई कनेक्शन दिया गया है. फाइबर

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कट के कारण 15 केन्द्र बंद है. संचालकों को नियमित भुगतान किया जा रहा है. फाइबर कट मरम्मत का कार्य प्रगति पर है. समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न भारत नेटवर्क योजना से है । मेरे जिले में 3 विधान सभा क्षेत्र हैं लेकिन 2 में 187 केन्द्र स्थापित किये गये हैं । 15 ख़राब हैं जो बन जाएंगे लेकिन सिहावा विधान सभा क्षेत्र में अभी तक ऑप्टिकल फाइवर नहीं लगा है । मैं आपके माध्यम से माननीय सी.एम. साहब से आश्वस्त होना चाहती हूं, क्या सिहावा विधान सभा क्षेत्र में यह सुविधा मिलेगी ?

श्री भूपेश बघेल :- दूसरे चरण में होगा, काम शुरू है ।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- धन्यवाद् ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त ।

(प्रश्नकाल समाप्त)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :

12.00 बजे

कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय :- कार्यमंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 22 फरवरी, 2021 में लिये गये निर्णय अनुसार वित्तीय कार्य पर चर्चा के लिये समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई :-

1. **वित्तीय कार्य :-**

(1) वित्तीय वर्ष 2020-21 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन मंगलवार, दिनांक 23 फरवरी, 2021 को तथा इस अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा, मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण बुधवार, दिनांक 24 फरवरी, 2021 को रखा जाये तथा इस पर चर्चा हेतु 3 घंटे का समय निर्धारित किया जाता है।

(2) वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय व्ययक का उपस्थापन सोमवार, दिनांक 1 मार्च, 2021 को मध्याह्न 12.30 बजे किया जायेगा तथा आय व्ययक पर सामान्य चर्चा, मंगलवार, दिनांक 2 मार्च, 2021 एवं बुधवार, दिनांक 3 मार्च, 2021 को होगी।

(3) गुरूवार, दिनांक 4 मार्च, 2021 से मंगलवार, 23 मार्च, 2021 तक वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में सम्मिलित विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी तत्पश्चात् विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन किया जायेगा।

(4) बुधवार, दिनांक 24 मार्च, 2021 को वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय व्ययक की अनुदान की मांगों से संबंधित विनियोग विधेयक पर विचार एवं पारण होगा।

(5) वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक से संबंधित मंत्रियों के विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा हेतु समय का निर्धारण किया गया, जो इस प्रकार है :-

(1)	श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री	- 3 घंटे
(2)	श्री टी.एस. सिंहदेव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री	- 3 घंटे
(3)	श्री ताम्रध्वज साहू, गृह मंत्री	- 3 घंटे,
(4)	श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री,	- 3 घंटे,
(5)	डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, स्कूल शिक्षा मंत्री	- 3 घंटे,
(6)	श्री मोहम्मद अकबर, वन मंत्री	- 3 घंटे,
(7)	श्री कवासी लखमा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री	- 3 घंटे,
(8)	डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन मंत्री	- 3 घंटे,

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

(9) श्रीमती अनिला भेंडिया, महिला एवं बाल विकास मंत्री - 2 घंटे, 30 मिनट
(10) श्री जयसिंह अग्रवाल, राजस्व मंत्री - 2 घंटे, 30 मिनट
(11) श्री गुरू रूद्र कुमार, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री - 2 घंटे, 30 मिनट
(12) श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री - 2 घंटे, 30 मिनट
(13) श्री अमरजीत भगत, खाद्य मंत्री - 2 घंटे, 30 मिनट

अध्यक्ष महोदय :- अब इसके संबंध में श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिण) :- माननीय अध्यक्ष जी, कार्यमंत्रणा समिति की बैठक कल हुई। समाचार पत्रों में किस तारीख को किस चीज की चर्चा होगी और क्या होगा, यह हमने कार्यमंत्रणा समिति की बैठक से पहले कल समाचार पत्रों में पढ़ लिया। तो जरा जो गोपनीयता है, वह भंग न हो। यह विधान सभा की गरिमा के अनुकूल नहीं है। सब चीजें कार्यमंत्रणा में बाद में आती हैं और पहले समाचार पत्रों में छप जाती हैं। तो आप जरा भविष्य में इसे देख लें कि ऐसा नहीं हो तो ज्यादा अच्छा होगा।

अध्यक्ष महोदय :- अब इसके संबंध में श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि- सदन कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिश को स्वीकृति देता है।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- सदन कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिश को स्वीकृति देता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

समय :
12.03 बजे

पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग का तेरहवां वार्षिक प्रतिवेदन

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 25 सन् 1995) की धारा 14 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग का तेरहवां वार्षिक प्रतिवेदन (1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक) पटल पर रखता हूं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

(2) अधिसूचना क्रमांक एफ 15-30/15-2/2020/1, दिनांक 21 जनवरी, 2021

सहकारिता मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 95 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 15-30/15-2/2020/1, दिनांक 21 जनवरी, 2021 पटल पर रखता हूं।

(3) अधिसूचना क्रमांक एफ 13-03/2014/20-3, दिनांक 7 अक्टूबर, 2020 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन नियम, 2020

स्कूल शिक्षा मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन अधिनियिम, 2020 (क्रमांक 16 सन् 2020) की धारा 15 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 13-03/2014/20-3, दिनांक 7 अक्टूबर, 2020 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन नियम, 2020 पटल पर रखता हूं।

(4) छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991)

परिवहन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 21 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक 1491/आर-472/आठ-परि/2020, दिनांक 30 दिसम्बर, 2020 पटल पर रखता हूं ।

समय :
12:05 बजे **दिसम्बर, 2020 सत्र का समयपूर्व सत्रावसान के कारण बैठक हेतु पूर्व निर्धारित तिथि की मुद्रित प्रश्नोत्तरी का पटल पर रखा जाना.**

अध्यक्ष महोदय :- पंचम विधान सभा के दिसम्बर, 2020 सत्र का दिनांक 28 दिसम्बर, 2020 को सत्रावसान हो जाने के कारण बैठक हेतु पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 29 एवं 30 दिसम्बर, 2020 की मुद्रित प्रश्नोत्तरी प्रमुख सचिव, विधान सभा, सदन के पटल पर रखेंगे।

प्रमुख सचिव, विधान सभा (श्री चन्द्रशेखर गंगराड़े) :- मैं, अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 13-क की अपेक्षानुसार दिसम्बर, 2020 सत्र का दिनांक 28 दिसम्बर, 2020 को सत्रावसान हो जाने के कारण बैठक हेतु पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 29 एवं 30 दिसम्बर, 2020 की मुद्रित प्रश्नोत्तरी सदन के पटल पर रखता हूं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय :

12:06 बजे **<u>दिसम्बर, 2020 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों के संकलन सदन का पटल पर रखा जाना.</u>**

अध्यक्ष महोदय :- दिसम्बर, 2020 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन प्रमुख सचिव, विधान सभा, सदन के पटल पर रखेंगे ।

प्रमुख सचिव, विधान सभा (श्री चन्द्रशेखर गंगराड़े) :- मैं, अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 13-ख की अपेक्षानुसार दिसम्बर, 2020 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन सदन के पटल पर रखता हूं ।

समय :

12:06 बजे **<u>नियम 267 क के अधीन सूचनाएं तथा उनके उत्तरों का संकलन</u>**

अध्यक्ष महोदय :- नियम 267 **क** के अधीन दिसम्बर, 2020 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन प्रमुख सचिव, विधान सभा, सदन के पटल पर रखेंगे ।

प्रमुख सचिव, विधान सभा (श्री चन्द्रशेखर गंगराड़े) :- मैं, नियम 267 **क** के अधीन दिसम्बर, 2020 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन सदन के पटल पर रखता हूं ।

समय :

12:07 बजे **<u>माननीय राज्यपाल महोदया की अनुमति प्राप्त विधेयक की सूचना (फरवरी-मार्च, 2021 सत्र)</u>**

अध्यक्ष महोदय :- पंचम विधान सभा के दिसम्बर, 2020 सत्र में पारित कुल 7 विधेयकों में से 1 विधेयक पर माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो गई है । अनुमति प्राप्त विधेयक की विवरण प्रमुख सचिव, विधान सभा सदन के पटल पर रखेंगे ।

प्रमुख सचिव, विधान सभा (श्री चन्द्रशेखर गंगराड़े) :- पंचम विधान सभा के दिसम्बर, 2020 सत्र में पारित कुल 7 विधेयकों में से 1 विधेयक पर माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो गई है, जिसका विवरण सदन के पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- अनुमति प्राप्त विधेयक के नाम को दर्शाने वाला विवरण पत्रक भाग-दो के माध्यम से माननीय सदस्यों को पृथक से वितरित किया जा रहा है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :

12:07 बजे

सभापति तालिका की घोषणा

अध्यक्ष महोदय :- विधान सभा की नियमावली के नियम 9 के उप नियम (1) के अधीन मैं निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम- निर्दिष्ट करता हूं :-

1. श्री सत्यनारायण शर्मा
2. श्री धनेन्द्र साहू
3. श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह
4. श्री शिवरतन शर्मा
5. श्री देवव्रत सिंह

पृच्छा

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने स्थगन दिया है। पूरे प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति समाप्त हो चुकी है । सरेआम लोगों की हत्याएं हो रही हैं, अपहरण की घटनाएं घटित हो रही हैं और सबसे शर्मनाक घटना तो यह है कि मुख्यमंत्री निवास के करीब, राजभवन के करीब न सिर्फ हत्याएं हो रही हैं, हत्या करते हुए उनकी वीडियो फिल्म तैयार की जा रही है, क्लिपिंग वाट्सअप में डाली जा रही है । पूरे प्रदेश में डकैती और अपहरण एक नये व्यवसाय के रूप में जन्म ले चुका है, अपहरण की घटनाएं लगातार हो रही हैं । इन सब मुद्दों पर हमने स्थगन दिया है । आपसे निवेदन है कि हमारे स्थगन को ग्राहय कर उसमें चर्चा कराएं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिण) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरा छत्तीसगढ़ अपराधों से जल रहा है । हम छत्तीसगढ़ को शांत प्रदेश बोलते थे, हम कहते थे कि छत्तीसगढ़ जैसे शांति का टापू कोई दूसरा नहीं है । छत्तीसगढ़ में कभी माफियाओं का राज नहीं रहा । आज पूरे छत्तीसगढ़ में शराब माफिया, रेत माफिया, कोयला माफिया, भूमि माफिया, वन माफिया, पूरे छत्तीसगढ़ में माफियाओं का राज हो गया है । लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं । हमने आपको हत्याएं, बलात्कार और चाकूबाजी की घटनाएं के संबंध में स्थगन की सूचना दी है । चाकूबाजी के बारे में तो डॉक्टर कह रहे हैं कि इतने दिनों में हमने कभी चाकूबाजी की इतनी घटनाएं नहीं देखीं । हमने इस संबंध में स्थगन प्रस्ताव दिया है । पूरा छत्तीसगढ़ अशांत है । हम आपसे चाहेंगे कि इस स्थगन प्रस्ताव के ऊपर में आप चर्चा करवाएं, इस बात से आपका आग्रह है ।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में आम आदमी की जान की कीमत अब कुछ नहीं है । मुरई-भाटा हो गए हैं, गाजर-मूली की तरह काटे जा रहे हैं । गाजर-मूली की

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

तरह काटे जा रहे हैं तो कोई पकड़े भी नहीं जा रहे हैं । यह लगता है कि अपराधियों को शासकीय संरक्षण प्राप्त है । बाहर के अपराधियों को आमंत्रित किया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में आपके लिए सुविधा है।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, वह आमंत्रण-पत्र भी चन्द्राकर जी लेकर गए थे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- पेपरों में छपा है कि साईबर ठगी करने वालों के लिए पूरे भारत में सबसे पसंदीदा स्थान बना-छत्तीसगढ़ । ये पेपर में छपा है, मैं नहीं कह रहा हूं । पूरा तरह स्थिति अनियंत्रित है । एक कल्याणकारी राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति सबसे प्राथमिक होती है, वह भंग हो चुकी है । इसलिए सारे कार्य रोककर तत्काल चर्चा कराई जाये ।

श्री अरूण वोरा :- मैं माननीय चंद्राकर जी से जानना चाहता हूं कि आप दो साल पहले की बातें कर रहे हैं कि अभी की बात कर रहे हैं। ये 15 सालों में हुआ है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, जल्दी करिये ना।

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर चापा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में इस सवा दो साल में प्रशासन का राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण। जशपुर से लेकर बस्तर तक, डोंगरगढ़ से लेकर रायगढ़ तक, कहीं भी, किसी भी, शहर, गांव, कस्बे में रोज नीत नये किस्म के अपराध घटित हो रहे हैं और अपराधी कानून की पकड़ से बाहर होते जा रहे हैं। पता नहीं, उनको कितना किसका संरक्षण है। ये कानून व्यवस्था का मामला है, महत्वपूर्ण मामला है। हम लोगों ने स्थगन दिया है, इस पर चर्चा करायें।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- अध्यक्ष महोदय, इसमें दो मत नहीं है कि पिछले कुछ दिनों से पूरे प्रदेश में अपराध बढ़े हुए हैं। अभी कल परसों बिलासपुर में एक बच्चा अपहृत हो गया था जो झारखंड से बरामद हुआ। मतलब अपराधियों को राजधानी, न्यायधानी कहीं पर भी कुछ डर, खौफ नहीं है। हत्या हो रहे है, गैंगरेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, लूट रहे हैं, कोई नौकरी दिलाने के नाम से पैसा खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है तो इस पर अगर सरकार चर्चा करायेगी, हम स्थगन दिये हैं, चर्चा कराने से सरकार का ही भला होगा। सरकार को भी चिंतन करने का अवसर मिलेगा, सरकार को भी हम बतायेंगे, जो-जो तथ्य हमारे पास रखे हुए हैं। आपको इस ओर ध्यान देना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो ज्यादा उचित होगा, बेहतर होगा। छत्तीसगढ़ शांत प्रदेश रहा है, शांत प्रदेश ही रहने दिया जाये। लेकिन अगर अपराधगढ़ बनाने की कोई अपराधियों के द्वारा कोशिश हो रही है तो सरकार को उसको कुचलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आपको इसको स्वीकार करके चर्चा करा लेनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये बैठिये।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय :

12:12 बजे

स्थगन प्रस्ताव

प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय :- प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के संबंध में 15 सदस्यों की ओर से स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं :-

प्रथम सूचना - श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य
दूसरी सूचना - श्री अजय चंद्राकर, सदस्य
तीसरी सूचना - श्री नारायण चंदेल, सदस्य
चौथी सूचना - श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य
पांचवीं सूचना - डॉ. रमन सिंह, सदस्य
छठवीं सूचना - श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य
सातवीं सूचना - श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य
आठवीं सूचना - श्री सौरभ सिंह, सदस्य
नौवीं सूचना - श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य
दसवीं सूचना - श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य
ग्यारहवीं सूचना - श्री ननकीराम कंवर, सदस्य
बारहवीं सूचना - श्री डमरूधर पुजारी, सदस्य
तेरहवीं सूचना - डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, सदस्य
चौदहवीं सूचना - श्री विद्यारतन भसीन, सदस्य
पन्द्रहवीं सूचना - श्री धर्मजीत सिंह

चूंकि श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य की सूचना सर्वप्रथम प्राप्त हुई है, अत: उसे मैं पढ़कर सुनाता हूं :-

जनमानस जिनके लिये कानून व्यवस्था सामाजिक तौर पर महत्वपूर्ण होती है। एक बेहतर कानून व्यवस्था जनमानस के लिये, अच्छे समाज और अच्छा माहौल का निर्माण करती है जो कि अतिआवश्यक है।

किन्तु वर्तमान में राज्य की कानून व्यवस्था गर्त में जा चुकी है, बार-बार कानून व्यवस्था पर चर्चा होने के बावजूद भी अपराधियों पर रोक नहीं लग रही है, कानून व्यवस्था सिर्फ कागजों और सरकार के बयानों पर ही सिमट कर रही गयी हैं। प्रदेश में प्रतिदिन लूटपाट, ठगी, चोरी, अपहरण, डकैती, वसूली, हत्या, महिला उत्पीड़न, हिस्ट्रीशीटरों की दबंगई, यहां तक छत्तीसगढ़ पी.एस.सी. तक में फर्जीवाड़ा जैसी

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

घटनायें घटित हो रही हैं, कभी छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया कहे जाने वाला राज्य, आज अपराधियों के लिये बढ़ियां बन चुका है। यहां राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रोफेशनल गिरोहों, बदमाशों को फल-फूल रहे हैं।

छत्तीसगढ़ का क्राईम ग्राफ निरंतर बढ़ते ही जा रहा है, प्रदेश में ऐसी कई घटनायें हुई हैं जो राज्य की कानून व्यवस्था को चुनौती दे रही है। दिनांक 25 दिसंबर, 2020 को सूरजपुर जिला, खड़गवा चौकी अंतर्गत केरता शक्कर खाना के पास एक महिला की निर्मम हत्या, जिला रायपुर में मंदिर हसौद थाना अंतर्गत ग्राम बहनाकाड़ी गांव में दिनांक 26.12.2020 को विक्की ढाबा के संचालक प्रभात चौधरी की हत्या दिनांक 26.12.2020 को जिला बैकुंठपुर, झगराखांड़ अंतर्गत सटानंद ऊर्फ दीपा उम्र 28 वर्ष की रॉड से मारकर हत्या, दिनांक 27.12.2020 को जिला दुर्ग अंतर्गत ग्राम खड़मुड़ा में एक ही परिवार के 4 सदस्यों का निर्मम हत्या कर दी गई। दिनांक 28.12.2020 को खम्हारडीह थानान्तर्गत वृंदावन कालोनी निवासी प्रियंका सोनी ने दहेज प्रताड़ना के कारण आत्महत्या कर ली। दिनांक 29.12.2020 को राजनांदगांव जिला के खड़गांव-तुमड़ीकसा टांगापानी में एक ग्रामीण की गोली मारकर हत्या, दिनांक 2.1.2020 को कवर्धा जिला के बोडला थाना अन्तर्गत महिला की कुल्हाड़ी माकर हत्या कर दी गई। दिनांक 4.1.2020 को रायपुर अमलीडीह के महात्मा गांधीनगर के आयुष और नंदकिशोर साहू के ऊपर जानलेवा चाकू से हमला, दिनांक 8.1.2021 को रायपुरा रायपुर में वकील कैवर्त की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। दिनांक 8.1.2021 को खरोरा रायपुर में दरबार हॉटल के पास तीन युवकों ने ईश्वर निषाद के ऊपर चाकू से हमला, दिनांक 14.1.2021 को देवपुरी रायपुर में बाईक सवार कुछ बदमाशों द्वारा ट्रक ड्रायवर अशोक के ऊपर चाकू से हमला कर लूट को अंजाम दिया। दिनांक 13.1.2021 को रायपुर खम्हारडीह थानान्तर्गत डाक्टर सूर्यवंशी के ऊपर जानलेवा हमला, दिनांक 16.1.2021 को जिला रायपुर ग्राम देवदा (आरंग) के परदेशी राम साहू 10वीं कक्षा के छात्र को मिट्टी तेल डालकर जिंदा जला दिया गया। दिनांक 17.1.2021 को दुर्ग जिला के सुपेला हनुमान मन्दिर के पास कांट्रेक्टर कालोनी निवासी संजय यादव के ऊपर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला, दिनांक 18.1.2021 रायपुर सेरीखेड़ी ओवरब्रिज के पास महिला की हत्या, दिनांक 19.1.2021 को राजधानी रायपुर के विधानसभा रोड में एक नाबालिग लड़की के ऊपर चाकू से हमला, दिनांक 23.1.2021 को रायपुर सेरीखेड़ी-जोरा में एक महिला व बच्चे की चाकू मारकर हत्या की घटना, दिनांक 6.2.2021 को जिला बालोद के ग्राम कोरगुड़ा निवासी को अंधविश्वास के चलते जहरीला फल खिलाकर हत्या कर दी गई। यहां तक कि अब लोगों को आत्महत्या के लिए पुलिस प्रशासन ही उकसा रही है। जिला जांजगीर-चांपा के पामगढ़ थाना अन्तर्गत ए.एस.आई. द्वारा ग्राम कोड़ाभाटा निवासी संजय खरे को आत्महतया के लिए उकसाया गया, जिससे उसने जहर पीकर आत्महत्या कर ली। पूर्व मंत्री की बहू व पोती की निर्मम हत्या जैसी घटनाएं जो आम जनता के मन में डर का माहौल पैदा कर रही है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

किन्तु प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था इतनी ध्वस्त हो चुकी है कि अपराधियों में कानून के प्रति डर ही खत्म हो चुका है। अपराधी खुलेआम वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और प्रदेश सरकार द्वारा कार्यवाही के नाम पर सिर्फ अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया जा रहा है। प्रदेश में आम लोगों के अन्दर दहशत व खौफ का माहौल बना हुआ है। लोग डर के साये में जीवन व्यतीत करने पर मजबूर हो चुके हैं। अत: इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाये। इस सम्बन्ध में शासन का क्या कहना है ?

गृहमंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने स्थगन प्रस्ताव की जो बात रखी, उसमें शासन का वक्तव्य इस प्रकार है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शासन का वक्तव्य आ रहा है। मैं तो यह कहना चाहूंगा कि आप इसे स्वीकार करके चर्चा शुरू करवायें। उनका आखिरी में वक्तव्य आये।

श्री ताम्रध्वज साहू :- यह सही है कि एक बेहतर कानून व्यवस्था की विकसित समाज के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परन्तु इस राज्य के सन्दर्भ में यह कहना सही नहीं है कि यहां कानून व्यवस्था गर्त में जा चुकी है तथा कानून व्यवस्था की खराब स्थिति के कारण लूटपाट, ठगी, चोरी, अपहरण, डकैती, वसूली, हत्या, महिला उत्पीड़न, हिस्ट्रीशीटरों की दबंगई की घटना घटित हो रही है एवं छत्तीसगढ़ शासन में अपराध निरंतर बढ़ते जा रहा है।

वास्तविकता यह है कि राज्य की पुलिस बेहद संवेदनशील है, जो प्रत्येक घटना पर तत्परतापूर्वक विधिसम्मत कार्यवाही करती है। जितनी घटनाओं का उल्लेख किया गया है, पुलिस द्वारा सभी प्रकरणों में गंभीरतापूर्वक विवेचना की गई तथा ज्यादातर मामलों में अभियुक्तों की शीघ्र-अतिशीघ्र गिरफ्तारी की गई है।

प्राप्त जानकारी अनुसार दिनांक 25 दिसम्बर, 2020 को चौकी खड़गवां थाना प्रतातपुर जिला सूरजपुर अन्तर्गत केरता शक्कर कारखाने के पीछे खेत में मिले महिला पविता तिग्गा के शव जिला रायपुर के थाना मंदिर हसौद अंतर्गत ग्राम बहनाकाड़ी में दिनांक 26.12.2020 को विक्की ढ़ाबा के संचालक प्रभात चौधरी की हत्या से संबंधित घटना, दिनांक 26.12.2020 को जिला कोरिया (बैकुंठपुर) के झगराखंड में सटानंद की हत्या, प्रियंका सोनी खम्हारडीह रायपुर के द्वारा फांसी लगाकर की गई आत्महत्या, दिनांक 02.01.2020 को कबीरधाम जिले के बोड़ला थाना अंतर्गत महिला शारदा बाई की हत्या, दिनांक 04.01.2020 रायपुर अमलीडीह के महात्मा गांधी नगर के आयुष और नंदकिशोर साहू पर हुए हमले, दिनांक 08.01.2021 को वकील कैवर्त को चाकू मारकर हत्या, दिनांक 08.01.2021 को खरोरा रायपुर दरबार हॉटल के पास ईश्वर निषाद के ऊपर हमला, दिनांक 13.02.2021 को डॉ. सूर्यवंशी के ऊपर हमला, दिनांक 15.01.2021 को ग्राम देवदा आरंग के परदेशी राम बंजारे को आग से जलाने की घटना, दिनांक 16.01.2020 को कांट्रेक्टर कालोनी निवासी संजय यादव के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला, दिनांक

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

18.01.2021 रायपुर सेरीखेड़ी ओवरब्रिज के पास महिला स्मिता बोपचे की हत्या, दिनांक 19.01.2021 को विधानसभा रोड में एक नाबालिग लड़की के ऊपर चाकू से हमला, दिनांक 23.01.2021 को जोरा में महिला रोमा यादव तथा उसकी डेढ़ वर्षीय पुत्री की हत्या, पूर्व मंत्री डी.पी.धृतलहरे की बहु व पोती की हत्या के उपरोक्त सभी प्रकरणों में आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

जिला दुर्ग के थाना अमलेश्वर अंतर्गत ग्राम खुड़मुड़ा में एक ही परिवार के चार सदस्यों की दिनांक 21.12.2020 को हत्या, दिनांक 29.12.2020 को राजनांदगांव जिले के ग्राम टांगापानी (तुमड़ीकसा) के जंगल में महेश कचलाम की हत्या, दिनांक 14.01.2021 को देवपुरी रायपुर में ट्रक ड्रायवर अशोक के साथ लूट के प्रकरणों में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों की पतासाजी के हरसंभव प्रयास किये जा रहे हैं। अतिशीघ्र आरोपियों की गिरफ्तारी की जायेगी।

दिनांक 06.02.2021 को जिला बालोद के ग्राम कोरगुड़ा निवासी मिथलेश देवांगन द्वारा शारीरिक रूप से कमजोर तथा नींद नहीं आने से परेशान होकर स्वयं कनेर बीज का सेवन करने से उसकी मृत्यु हुई थी। थाना पामगढ़ अंतर्गत ग्राम कोटभांटा निवासी संजय खरे के प्रकरण में मृतक संजय खरे द्वारा दिनांक 27-28.12.2020 की दरम्यानी रात अपने निर्माणाधीन गौशाला में जहर सेवन कर आत्महत्या करने के मामलों में मर्ग पंजीबद्ध कर जॉच की जा रही है।

यह कहना सही नहीं है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, तथा अपराधियों में कानून के प्रति डर खत्म हो चुका है। बल्कि सच्चाई यह है कि प्रदेश की पुलिस अत्यंत संवेदनशील एवं गंभीर है तथा अभियुक्तों की त्वरित गिरफ्तारी कर समय सीमा में अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं जिससे न्यायालयों द्वारा निर्णित प्रकरणों में सजा में वृद्धि हुई है। पुलिस द्वारा 24 घंटे से 03 दिन के भीतर अनेकों मामलों में अभियोग पत्र प्रस्तुत किये जाने के कारण 10 से 50 दिनों के भीतर माननीय न्यायालयों द्वारा विचारण पूर्ण कर आरोपियों को आजीवन कारावास तक की सजायें दिये जाने से जन सामान्य में शासन-प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ा है। प्रदेश में किसी तरह का रोष, आक्रोश व्याप्त नहीं है तथा जनजीवन सामान्य है।

अध्यक्ष महोदय :- अग्रवाल जी, आप संतुष्ट हैं?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, हम संतुष्ट नहीं हैं। पूरा छत्तीसगढ़ अपराध की आग में जल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृहमंत्री जी सारे मंत्रीगणों को मैं कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में कभी ऐसे अपराध नहीं हुए हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये 15 सालों में इनके समय जितने अपराध हुए हैं लेकिन हमारे यहां तो उसका एक प्रतिशत भी नहीं है।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक):- माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थगन महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, हमारे वरिष्ठ सदस्य बृजमोहन अग्रवाल जी उस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा शुरू कर रहे हैं। आप इसको

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

स्वीकार कर लीजिए और दोनों तरफ से चर्चा शुरू करा दीजिए तो हमारे मंत्री जी डॉ. शिवकुमार डहरिया जी को भी बोलने का अवसर मिल जायेगा और या तो इस स्थगन प्रस्ताव पर उतनी ही गंभीरता के साथ चर्चा होने दीजिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, यह मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस के बिलासपुर के विधायक जी गृहमंत्री जी की उपस्थिति में वर्चुअल बैठक में कहते हैं कि थानों में रेट लिस्ट टांग दीजिए कि किस अपराध के अपराधी को छोड़ने के लिए कितने पैसे लगेंगे। यह मैं नहीं कह रहा हूं यह कांग्रेस के विधायक कहते हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- वह आपके कार्यकाल का बता रहा था। आप समझने में गलती कर रहे हो। मैं आपके कार्यकाल की बात कर रहा था।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उनको समझ में नहीं आएगा। आज आप छत्तीसगढ़ को क्या बनाना चाह रहे हैं ? पूरी सरकार को सोचने की आवश्यकता है। हमको नई पीढ़ी को यह बताना होगा कि गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा कभी काम नहीं आता। आज छत्तीसगढ़ में हर आदमी सरकार के संरक्षण में गलत तरीके से पैसा कामने में लगा हुआ है। (शेम-शेम की आवाज) मेरे पास में जानकारी है। प्रश्न में यह जानकारी दी है कि छत्तीसगढ़ में ...।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ग्राहय करके चर्चा करा रहे हैं ? इसीलिए मैंने आपसे आग्रह किया था।

अध्यक्ष महोदय :- यह स्थगन ग्राहय करूं या न करूं, यह मुझे सोचने के लिए आपकी ग्राहयता पर चर्चा होनी है। माननीय सदस्य को ध्यान रखना चाहिए। उस हिसाब से बात रखनी चाहिए। अपनी बात करें। मैंने ग्राहय नहीं किया है। यह ग्राहयता पर चर्चा हो रही है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह बात तो करेंगे ही। मेरा यह कहना है कि यह क्लियर तो हो जाए कि स्थगन की ग्राहयता पर चर्चा हो रही है या स्थगन ग्राहय करके चर्चा हो रही है।

अध्यक्ष महोदय :- अभी स्थगन की ग्राहयता पर चर्चा हो रही है, ग्राहय नहीं किया गया है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं। हम आपसे आग्रह करते हैं कि इतना गंभीर मामला है इसको ग्राहय करके चर्चा कराएंगे तो ज्यादा उचित होगा।

अध्यक्ष महोदय :- गंभीर मामले की शुरूआत बिलासपुर से होती है। भ्रष्टाचार से होती है। आपने इतनी गंभीरता से स्थगन दिया, उतनी गंभीरता से आप लोग चर्चा करें।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए तो आपसे आग्रह कर रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय :-आप गंभीरता से बताईये कि यह स्थगन क्यों ग्राहय होना चाहिए ?

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चलिये। ठीक है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गंभीर मसला है। छत्तीसगढ़ में रोज समाचार पत्र भरे हुए होते हैं। नाबालिक को चाकू से गोद डाला, त्रिकोणीय प्रेम में चाकू गोदकर युवक की हत्या, नाबालिक ने लिफ्ट मांगी सुनसान स्थान पर ले जाकर उसको चाकू से गोद दिया गया, नौ बार किया गया, उसकी मौत हो गई, नाबालिक से दुष्कर्म, स्वास्थ्य कर्मचारी पर आरोप, विवाद युवक का अपहरण और उसकी हत्या, नाबालिक से सरेआम चाकू गोदकर हत्या, 30 दिन में नौ हत्या, 04 जानलेवा हमले, 53 वारदातें, इन सब में चाकू का इस्तेमाल किया गया। आखिर यह क्या हो रहा है ? मैं पूरे मंत्रिमण्डल को कहना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में कभी माफिया नहीं पनप पाया। यहां के लोगों ने कभी माफियाओं को पनपने नहीं दिया। आज सरकारी दुकानों, शराब की दुकानों में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा की शराब बिक रही है। यह अपराधी कहां से आ रहे हैं ? इसको कौन कर रहा है ? इनको किसका संरक्षण है ? ये अपराधी आकर, यहां पर रेत माफिया आकर छत्तीसगढ़ के निवासियों को सरपंचों को मारते हैं, लेटाकर मारते हैं, उनकी हत्या हो जाती है, वनकर्मचारियों के ऊपर हमला होता है। छत्तीसगढ़ में जंगल माफिया तैयार हो गया। जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं। जब रेंजर जंगल को बचाने जाता है तो रेंजर की हत्या हो जाती है। छत्तीसगढ़ में क्या बचा है ? छत्तीसगढ़ का व्ही.आई.पी. रोड अपराधों का अड्डा बना हुआ है वहां पर शराब, कोकिन चलती है वहां पर सूखा नशा चलता है। प्रदेश की पुलिस किसमें लगी है ? वह अपनी पीठ थोपती है कि हमने जुवारियों को पकड़ लिया क्योंकि उसमें पैसा है, हमने वेश्यावृत्ति करने वालों को पकड़ लिया, क्योंकि उसमें पैसा है। आपने कितने अपराधियों को पकड़ा ? माननीय गृहमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी सामाजिक बुराईयां अलग है, अपराध अलग है, आप सामाजिक बुराईयों वालों को पकड़कर, क्योंकि उसमें बड़े-बड़े लोग शामिल होते हैं, उसमें पैसा मिलता है। 15-20 लाख रूपये पकड़ा। इसी में पूरी पुलिस लगी है। हर थाने में ऐसे 5 स्थान बने हुए हैं, जहां पर पुलिस के संरक्षण में वैश्यावृत्ति चलती है, जहां पर पुलिस के संरक्षण में जुएं के अड्डे चलते हैं। कभी आप देखते हैं आप कभी व्ही.आई.पी. सड़क पर निकल जाईये, कुछ दुकानें हैं जहां पर भीड़ लगी होती है कभी आपने सोचने की कोशिश की, कभी आपकी पुलिस ने देखा कि आखिर वहां पर इतने नौजवानों की भीड़ क्यों लगी है ? इसका क्या कारण है ? क्या हो रहा है ? वह सूखा नशा करते हैं। उस नशे के बाद में वह अपराध कर देते हैं। उनको भी होश नहीं होता है। हम छत्तीसगढ़ को किस दिशा में, कहां ले जा रहे है? लोग पैसे के लिए हत्यायें, बलात्कार, गलत काम कर रहे हैं। रेत माफियाओं के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है? पूरे छत्तीसगढ़ के समाचार पत्रों में रोज छपता है। मालूम नहीं आप लोग पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं? आप लोग सुनते हैं या नहीं सुनते हैं? हम एक विधायक हो कर भी रोज समाचार पत्रों की कतरनों को देखते हैं। सरकार के मंत्रियों के पास तो रोज समाचार पत्रों की कतरनें जाती हैं। कभी आप पुलिस को भेजकर रिपोर्ट बुलाते हैं कि इसमें क्या कार्यवाही हुई? यह क्यों छपा है, इसकी पीछे क्या कारण है? कभी इसके बारे में कोई चर्चा, कोई कार्यवाही नहीं

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

होती। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृहमंत्री जी, मंत्रिमंडल के सदस्य सरकार का इकबाल होता है, सरकार का अपराधियों में एक डर होता है, पुलिस के जूतों की धमक होती है। क्या आपकी कहीं पर पेट्रोलिंग होती है? मेरे बारे में तो यह फेमस है कि मैं रात को घूमता हूं, रात को शादियों में, पार्टियों में जाता हूं। मुझे कहीं गस्त करती हुई पुलिस नहीं दिखती है। अपराधियों के झुंड दिखते हैं।

समय :
12:32 बजे **(सभापति महोदय (श्री देवव्रत सिंह) पीठासीन हुए)**

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, वरिष्ठ सदस्य अखबारों की कतरनें देखते हैं, रात में शादी की पार्टी में जाते हैं तो पेट्रोलिंग पार्टी को देखते हैं। आप कृपा करके जितने भी हत्या, हत्या का प्रयास, अपराधिक मानववाद, अपहरण, डकैती, लूट, गृह भेदन, चोरी का कभी 2014 से लेकर 2018 तक का रिकार्ड तो देखिये। आपको समझ में आ जायेगा कि 2019-20 में अपराध का ग्राफ कितना कम हुआ है और 2014 से लेकर 2018 तक के आंकड़ें क्या कहते हैं। आप परसेप्सन बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति महोदय, मेरे पास क्राईम ब्यूरो की रिपोर्ट भी है। उसको भी मैं आपके सामने बताऊंगा। पूरा छत्तीसगढ़ अपराधों से जल रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ में माफिया तैयार हो रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ की नई पीढ़ी बरबाद हो रही है। विधायकों की कॉलोनी में चोरी हो जाती है। इस प्रदेश में कौन सुरक्षित है ? क्या विधायकों की कॉलोनी में भी कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है ? वहां पर भी गस्त की व्यवस्था नहीं है। पूरे छत्तीसगढ़ में डर, भय समाप्त हो गया है। सैंया भये कोतवाल तो फिर डर काहे का।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- माननीय सभापति महोदय, अभी अमरजीत भैया ने एक उदाहरण दिया। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। खरसिया में 3 दिन पहले एक बच्चे का अपहरण हुआ। वहां दो घंटे के अंदर में एस.पी. कैंप किये, चार घंटे के अंदर में आई.जी. कैंप किये और 6 घंटे के अंदर में वह बच्चा वापिस ले आया गया। वह छत्तीसगढ़ बार्डर से दूर था। अब आप सारे उदाहरण दे रहे हैं तो इस बात को भी बोलिये। जब पुलिस अच्छा काम करती है तो आप यहां से उसकी पीठ थपथपाईये न।

श्री अजय चन्द्राकर :- उरकुरा में आई.जी. नहीं, डी.जी.पी. 6 बार कैंप कर लिये।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय सभापति महोदय, शेम घटना दुर्ग में भी हुई थी।

श्री संतराम नेताम :- माननीय सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल था, मैंने एफ.आई.आर. कराया।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय मंत्री जी, मैंने जब इस बात का जिक्र किया तो मैंने कहा कि वह बच्चा झारखंड से वापिस आया। आप शायद नहीं सुने होंगे। इसका मतलब यह नहीं होता है कि यहां अपराध नहीं हुआ। आखिर अपराध तो हुआ। अपराध क्यों हो रहे हैं, इस पर विचार करने के लिए बात हो रही है, उसको कैसे रोका जाये, इस पर चर्चा हो रही है। आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, न मुख्यमंत्री जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और न पुलिस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। जहां व्यवस्था चरमराई हुई है, उस व्यवस्था को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इस विषय पर यहां चर्चा हो रही है। इसीलिए मैंने वह उदाहरण दिया कि वह बच्चे का अपहरण हुआ और वह झारखंड से वापिस मिला।

सभापति महोदय :- बृजमोहन जी, आप अपनी बात कहिये।

श्री अरूण वोरा :- माननीय सभापति महोदय, आंकड़े तो सही देना चाहिए। ये आंकड़ें बिल्कुल सही नहीं हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप यह सुन लीजिए, इसीलिए हम ग्राहृयता पर चर्चा कर रहे हैं।

सभापति महोदय :- ग्राहृयता पर चर्चा हो रही है, केवल अपनी बात रखिये।

श्री धर्मजीत सिंह :- सही आंकड़ें आप दे दीजिए।

श्री अरूण वोरा :- माननीय धर्मजीत सिंह जी, मैं सोच रहा हूं जो पिछले 15 साल के आंकड़ें हैं, मैं सोच रहा हूं कि उसी पर चर्चा हो रही है।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य के बनने के में कोई भी ऐसा शासनकाल नहीं नहीं रहा जिसमें घटनायें न हुई हों। आप इसकी तुलना कर दीजिए कि किस शासनकाल में ज्यादा घटनायें हुई हैं।

सभापति महोदय :- कृपया सदस्य ग्राहृयता पर अपनी बातें रखें।

श्री अरूण वोरा :- माननीय सभापति महोदय, पहले स्पष्ट कर दीजिये कि 15 साल के कार्यों की चर्चा हो रही है कि 2 साल के कार्यों की चर्चा हो रही है ? ये तो 15 साल के आंकड़े बता रहे हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं कहता हूं कि 15 साल के बारे में भी आपको किसने रोका है, अभी चर्चा होगी उसमें आप जिक्र कर देना । कोई मना थोड़ी कर रहा है, चर्चा तो होने दीजिए ।

सभापति महोदय :- कृपया बैठ जाएं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अरूण जी, अगर आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि 15 सालों पर चर्चा हो रही है और 2 साल पर चर्चा नहीं हो रही है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कि मेडिकल चेकअप करायें । आपका मेडिकल चेकअप तत्काल कराना चाहिए कि आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है । आप सामान्य स्थिति में हैं कि नहीं हैं ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अरूण वोरा :- नहीं-नहीं, मैं पूरी तरीके से समझ रहा हूं कि यह सारे आंकड़े विपक्ष के माननीय भूपेश बघेल जी ने पिछली सदन में उठाये थे, वही आंकड़े आप फिर से दे रहे हैं ।

सभापति महोदय :- श्री बृजमोहन जी कृपया चर्चा जल्दी समाप्त करें ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अभी तो मैंने शुरू किया है ।

सभापति महोदय :- ग्राह्यता पर कृपया जल्दी बोलकर समाप्त करें ।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय सभापति महोदय, क्या है कि 15 सालों में इनकी आदत बिगड़ चुकी है, आरोप लगाना भी नहीं आ रहा है । पुलिस एक तरफ अपराधियों को पकड़ रही है उसमें भी आपको तकलीफ है तो आपको यदि आरोप लगाना है तो ढंग से लगाईए न, आपको तो आरोप लगाना भी नहीं आ रहा है।

श्री शिवरतन शर्मा :- श्री अमरजीत जी, आपकी गति क्या है, उसे पूरा सदन जानता है । खाली नाम के लिये बने हुए हैं, आपकी गति से सब परिचित हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- अभी तो आप छाये हुए हैं । आप समझ रहे हैं न, आज पहला दिन है मतलब आगे आप बहुत जवाब देंगे, आप चिंता मत करिए ।

श्री अमरजीत भगत :- आप जितना प्रश्न लगायेंगे सबका जवाब मिलेगा ।

श्री शिवरतन शर्मा :- हिसाब तो आपके पास जा नहीं रहा है तो आप खुद दुखी पीड़ित हैं ।

श्री अमरजीत भगत :- ये क्या-क्या बातें करते हैं ।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- आप लोग हमारे मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं ।

श्री अमरजीत भगत :- पुलिस अपराधियों को पकड़ रही है उसमें भी आपको जवाब देने में तकलीफ है । गांजा तस्करों को पकड़ रही है, अपराधियों को पकड़ रहे हैं तो उसमें आपको शाबासी देनी चाहिए ।

सभापति महोदय :- श्री बृजमोहन जी, आप अपनी बात कहिए । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, सरकार का इकबाल, पुलिस का वजूद कैसे समाप्त हो गया है, कभी छत्तीसगढ़ में हम इस प्रकार के अपराध देखते नहीं थे । पिता और दो बेटियों को पत्थर से कुचलकर मार डाला, कभी छत्तीसगढ़ में ऐसे अपराध होते थे, हमने कभी ऐसे अपराध होते हुए नहीं देखा । पत्थर से कुचलकर मार डाला । पहाड़ी कोरवाओं की हत्या । कोरवा जो प्रिमिटिव ट्राईब्स हैं, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र हैं, उनकी सुरक्षा नहीं हो पा रही है । जो कभी कोई अपराध नहीं करते । सीधे-सादे हैं ।

डॉ. विनय जायसवाल :- [XX]

सभापति महोदय :- डॉ. जी, आप इस प्रकार से हस्तक्षेप मत करिए । बात कहने दीजिए ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

डॉ. विनय जायसवाल :- [XX]

सभापति महोदय :- डॉ. जी कृपया बैठ जाईए । इस प्रकार से हर दो मिनट में हस्तक्षेप ठीक नहीं है । श्री बृजमोहन जी, आप अपनी बात कहिए ।

डॉ. विनय जायसवाल :- [XX]

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय सभापति महोदय, इसको ग्राह्य कर लीजिये और ग्राह्य करने के बाद में जो चर्चा कराना है, दोनों पक्षों की चर्चा होने दीजिए । चूंकि ग्राह्यता पर चर्चा हो रही है और जिस प्रकार से बातें आ रही हैं तो उसको ग्राह्य कर लीजिये और दोनों तरफ की चर्चा होने दीजिए न । आप इसमें पूरी चर्चा करवाईए, आज दिन भर चर्चा करवाईए । उनके पास जो तथ्य है उसे वे रखेंगे और हमारे पास जो तथ्य हैं उनको हम रखेंगे । माननीय सभापति महोदय, आप कृपया ग्राह्य कर लीजिये और ग्राह्य करके चर्चा करवाईए ।

सभापति महोदय :- डॉ. साहब कृपया बैठ जाइए ।

डॉ. विनय जायसवाल :- [XX][3]

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, मैं पुरानी घटनाओं की चर्चा नहीं कर रहा हूं । मैं पिछले सत्र से लेकर इस सत्र के बीच में जो घटनाएं हुई हैं उसकी चर्चा कर रहा हूं । अगर मैं पुरानी घटनाओं की चर्चा करूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी । पुलिस ने रोकना चाहा तो पिस्टल दिखाकर डराया । (व्यवधान) अपराधियों की इतनी हिम्मत हो गई । (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सभापति महोदय, दरअसल विषय क्या है कि नेता प्रतिपक्ष जी को यह है कि पूरा श्रेय श्री बृजमोहन जी ले जा रहे हैं इसलिए बीच-बीच में...

श्री धरमलाल कौशिक :- भई, श्रेय की बात नहीं है । आपको श्रेय जाये, हम लोग चाहते हैं और आप चर्चा पूरी कीजिए । श्री बृजमोहन जी के बाद में आप बोलेंगे और पूरे विषय आप रखें । हम तो चाहते हैं कि आपको श्रेय जाये । श्री चौबे जी को, मुख्यमंत्री जी को श्रेय न जाये और आपका पूरा उजागर हो रहा है, आप चिंता मत करो ।

डॉ. विनय जायसवाल :- [XX]

सभापति महोदय :- डॉ. साहब कृपया अभी नहीं । डॉ. साहब आप जो भी बोल रहे हैं वह...।

डॉ. विनय जायसवाल :- [XX] (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- अभी तो सत्र आरंभ हुआ है । (व्यवधान)

डॉ. विनय जायसवाल :- [XX]

[3] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

स्भापति महोदय :- डॉ. साहब कृपया बैठ जायें । स्थगन प्रस्ताव में जिन लोगों ने नाम दिये हैं केवल वे लोग इसमें बोलेंगे ।

श्री अजय चंद्राकर :- अभी एक वैक्सीन लगी है, दूसरी नहीं लगी है । एक वैक्सीन के कारण इनका दिमाग खराब हो गया है ।

सभापति महोदय :- आप जो कह रहे हैं वह रिकॉर्ड में नहीं आ रहा है । कृपया आप बैठ जाइए ।

डॉ. विनय जायसवाल :- [XX] [4]

सभापति महोदय :- आप बैठ जाइए । अगर विषय ग्राह्य हो जाएगा तो आप अपनी बात कहिएगा । जिन लोगों ने स्थगन प्रस्ताव दिया है केवल उन्हीं को अवसर दिया जा रहा है । माननीय बृजमोहन जी आप बोलिए ।

डॉ. विनय जायसवाल :- [XX]

सभापति महोदय :- डॉक्टर साहब आप जो भी बोल रहे हैं वह रिकार्ड में नहीं आ रहा है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- कौन से नम्बर हैं ये ?

सभापति महोदय :- शिवरतन जी आप भी बैठ जाएं ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- अभी बॉलिंग नहीं हुई और बैटिंग शुरू हो गई ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, बच्ची से छेड़खानी का केस करने जा रही महिला पर डाला पेट्रोल । छत्तीसगढ़ में कभी ऐसा हुआ था ? कोई रिपोर्ट लिखवाने जा रहा है उस पर पेट्रोल डाल दिया जाता है । इस छत्तीसगढ़ में थाने में रिपोर्ट लिखाने कौन जाएगा ? 80 प्रतिशत अपराधों में तो रिपोर्ट लिखी ही नहीं जाती है, यह तो 20 प्रतिशत है । हम लोगों को थानों में फोन करना पड़ता है कि आप इसकी रिपोर्ट क्यों नहीं लिख रहे हैं ? आप रिपोर्टिंग की यह व्यवस्था क्यों शुरू नहीं करते कि कोई भी अपने मोबाइल से, कोई भी अपने कम्प्यूटर से रिपोर्ट भेज दे । थाने में अपराध दर्ज क्यों नहीं होता, इन्वेस्टीगेशन क्यों नहीं होती ? पूरे छत्तीसगढ़ में अपराधों के नये-नये तरीके खोजे जा रहे हैं । सभापति महोदय, परसों की घटना है मेडिकल कॉलेज के हॉस्पीटल में जेल का एक प्रहरी, वहां के डॉक्टर को झांपड़ मार देता है, डॉक्टर हड़ताल पर चले जाते हैं । कहीं कोई नियंत्रण है । एक आरक्षक जिस थाने में पदस्थ है उसी थाने में एक महिला के साथ दो साल तक दुष्कर्म करता है । उसकी शिकायत नहीं सुनी जाती है । अभी यह बात कर रहे थे कि बच्चे को छुड़ा लिया । छत्तीसगढ़ में अपहरण करने की हिम्मत क्यों होती है ? उनका लगता है कि पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी । पुलिस हमारा कुछ नहीं कर पाएगी, पुलिस को हम खरीद लेंगे । यह स्थिति क्यों है ? माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृहमंत्री जी पुलिस पर आपका नियंत्रण नहीं है । हर जिले में आपके 2-2, 4-4 नेता हैं जो अवैध कामों में संलग्न हैं, पुलिस पर उनका नियंत्रण है । उनके कहने पर थानों से अपराधियों

[XX][4] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

को छोड़ दिया जाता है । थाने में जाकर दादागीरी करके अपराधियों को छुड़ा लिया जाता है । पुलिस का मनोबल समाप्त हो रहा है, पुलिस का इक़बाल समाप्त हो रहा है । इसलिए छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बनता जा रहा है, इसके बारे में विचार करने की जरूरत है । माननीय सभापति महोदय, आज पूरे छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है ?

सभापति महोदय :- माननीय बृजमोहन जी, आपको बोलते हुए लगभग 15 मिनट हो चुके हैं और आपके दल से 5 और लोगों के नाम हैं, इसलिए थोड़ा संक्षेप में ग्राह्यता पर बोलें ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, मैं आप ही से पूछना चाहता हूं कि ये गांजे की तस्करी हो रही है, आप छत्तीसगढ़ में कितने हजार क्विंटल गांजा पकड़ चुके हैं ? ज़रा बताइए, छत्तीसगढ़ से गांजे की तस्करी क्यों हो रही है ? क्या छत्तीसगढ़ में गांजे की खेती होती है ? ये किसके संरक्षण में हो रही है । कहां से आ रही है । कभी कहा जाता है कि ओडिशा से आ रही थी और आंध्रप्रदेश जा रही थी । ओडिशा के बॉर्डर पर हमारी पुलिस क्या कर रही थी ? माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय परिवहन मंत्री जी अभी तो आपने नया काम शुरू किया है । परिवहन चौकियां खोली हैं जो बंद हो गई थीं । आपकी परिवहन चौकियां क्या कर रही हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- परिवहन चौकी के बारे में ज़रा मध्यप्रदेश वालों को बताओ । पहले मध्यप्रदेश में परिवहन चौकी खुली है उसके बार यहां खुली । मध्यप्रदेश वालों को ज़रा समझाओ ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- सभापति जी, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर का प्रश्न है । नियम 58(2) में प्रावधान है कि इस संबंध में 15 मिनट से ज्यादा नहीं बोल सकता। इनको 20 मिनट हो गया । उनके पास कोई मामला नहीं दिख रहा है, वे गृह से परिवहन में पहुंच गए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति जी, ये प्वाइण्ट ऑफ ऑर्डर का प्रश्न क्या होता है ? यह समझना हे।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- तोला समझ में नहीं आये तो मोर का गलती हे।

श्री अजय चन्द्राकर :- और यह कब से व्यवस्था लागू है कि मंत्री आसंदी के लिए व्यवस्था दे रहे हैं ।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त कीजिए।

श्री अरूण वोरा (दुर्ग शहर) :- चन्द्राकर जी, वह विवशता का प्रश्न है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- हमारा यह कहना है कि हम लोग भी उठा सकते हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, मैं आपसे इस स्थगन प्रस्ताव की गंभीरता के ऊपर में यहां पर बात कर रहा हूं। आज छत्तीसगढ़ में इतना गांजा क्यों आ रहा है? मैंने पूछा कि अवैध दारू छत्तीसगढ़ में कहां-कहां से आ रही है? मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, चंडीगढ़, उड़ीसा, अरूणाचल

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

प्रदेश (शेम-शेम की आवाज) अरूणाचल प्रदेश की बॉर्डर कहां पर है? छत्तीसगढ़ से लगती है अरूणाचल प्रदेश की बॉर्डर ? मध्यप्रदेश से लगती है अरूणाचल प्रदेश की बॉर्डर ? वहां की दारू आ रही है।

श्री अमरजीत भगत :- आपके समय के बने हुए तस्करों को बॉर्डर नहीं पता।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हमारे समय में तो पूरे कोचिया बंद हो गये थे। आज अपने गांव-गांव में दारू बिकवाना शुरू कर दिया है।

श्री अमरजीत भगत :- इनको पता नहीं कि सरकार कार्रवाई कर रही है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- इनकी सरकार कोचिया बनकर काम कर रही थी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- जरा देखिए, इसके ऊपर में हंसने से काम नहीं चलेगा डहरिया जी। पूरे छत्तीसगढ़ की आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। अगर यह सूखा नशा होने लगेगा। क्यों भई, छत्तीसगढ़ में क्यों यू.पी. की दारू आने की जरूरत है? क्यों मध्यप्रदेश की ? क्यों अरूणाचल प्रदेश की ? आप उसकी व्यवस्था क्यों नहीं कर देते ? आप गांव-गांव में वैसे ही बिकवा रहे हैं।

श्री अमरजीत भगत :- आप उनको समझाइए।

श्री शिवरतन शर्मा :- दारू यहीं की है। ब्रांड लगाये जा रहे हैं। खाली लेबल लगाये जा रहे हैं।

सभापति महोदय :- बृजमोहन जी समाप्त करेंगे। श्री अजय चन्द्राकर जी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, मैं रायपुर के मामले में चिंतित हूं। मैं लगातार बात करता हूं और फोन करता हूं। वर्ष 2020 में 75 हत्या रायपुर में हो जाती है। 246 बलात्कार हो जाते हैं। 60 लूट हो जाती है। 1137 चोरी हो जाती है। 183 छेड़छाड़ हो जाती है। अगर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सरकार की नाक के नीचे यह स्थिति है तो पूरे प्रदेश की क्या हालत होगी ? सड़क पर दुर्घटनाओं को रोकने में पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं है। रायपुर की आबादी ढाई गुना बढ़ गई। आपने यहां पर पुलिस फोर्स बढ़ाई ? आपको उसकी चिंता नहीं है। आपको दारू बेचने की चिंता है। आपको रेत माफियाओं की चिंता है। आपको वन माफियाओं की चिंता है। आपको सूखे नशे को बेचने की चिंता है। आपको लोगों की जान-माल की चिंता नहीं है।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करेंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, सड़क दुर्घटना में 24168 प्रकरण रायपुर में होते हैं, उसमें 9030 लोगों की मौत होती है वर्ष 2019-20 में । गंभीर घायल 3700 लोग होते हैं। रायपुर में मानव तस्करी के 2019 में 51 प्रकरण होते हैं। वर्ष 2020 में 43 प्रकरण होते हैं। जांजगीर जिले अकेले में वर्ष 2019-20 में बलात्कार के 57, छेड़छाड़ 148, पास्को एक्ट के 203, नाबालिगों के लापता होने के 178, लूट के 20, चोरी के 102 प्रकरण हैं। मैं आपको केवल दो जिलों का उदाहरण दे रहा हूं। अगर इन दो जिलों में इतनी घटनाएं हैं..।

सभापति महोदय :- अब समाप्त करें।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैं 5 मिनट में समाप्त कर दूंगा।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- सभापति जी, ये तो पुरानी बातों को दोहरा रहे हैं। अभी क्या हुआ, उसे नहीं बता रहे हैं।

सभापति महोदय :- जल्दी समाप्त करें।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- करेंट मामलों की ही अनुमति रहती है। ये पुराने मामलों को कैसे उठा सकते हैं ? सभापति जी, प्वाइंट ऑफ ऑर्डर का प्रश्न है।

सभापति महोदय :- बृजमोहन जी, कृपया समाप्त करें। अजय चन्द्राकर जी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह छत्तीसगढ़ के भविष्य का सवाल है। पिछले दो सालों में लूट के 840 प्रकरण, हत्या के 1800 प्रकरण, डकैती के 200 प्रकरण, छेड़छाड़ के 4169 प्रकरण, बलात्कार के 720 प्रकरण आदिवासियों के साथ, छेड़छाड़ के 295 प्रकरण आदिवासियों के साथ, बलात्कार के 421 प्रकरण अनुसूचित जाति वर्ग के साथ, छेड़छाड़ के 326 प्रकरण अनुसूचित जाति वर्ग के साथ। नेशनल क्राइम ब्यूरो क्या कहता है ? बच्चों के साथ अपराध के मामले में टॉप 10 में है।

सभापति महोदय :- बृजमोहन जी, ग्राह्यता पर चर्चा कीजिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं, मैं ग्राह्यता पर बोल रहा हूं कि क्यों ग्राह्य करें। बच्चों के साथ अपराध में टॉप 10 के मामले में छत्तीसगढ़ चौथे नंबर पर है। कल ये राज्यपाल जी से अभिभाषण पढ़वा रहे थे कि कहां-कहां पहले स्थान पर आये हैं। कहां-कहां पहले स्थान पर आये हैं। कहां-कहां पुरस्कार मिल रहा है।

श्री अमरजीत भगत :- लेकिन आपने जो आरोप लगाया, उसमें एक बात पर आपत्ति की कि पुलिस जो कार्रवाई कर रही है, अपराधियों को पकड़ रही है, उसमें आपको आपत्ति क्यों है ?

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- पुलिस मैनपाट में बढ़िया लाठीचार्ज कर रही है।

सभापति महोदय :- बृजमोहन जी, कृपया समाप्त करें। 4 वक्ता और हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति जी, मैं दो मिनट में समाप्त करूंगा । बच्चों के साथ अपराध के मामले में टॉप 10 राज्यों में पूरे देश में छत्तीसगढ़ चौथे नम्बर पर है । महिलाओं के साथ बलात्कार के मामले में टॉप 10 राज्यों में पूरे देश में छत्तीसगढ़ का पांचवा स्थान है । दुर्घटनाओं के मामले में देश के टॉप 10 राज्यों में छत्तीसगढ़ का दूसरा स्थान है । आत्महत्या के मामले में टॉप 10 राज्यों में छत्तीसगढ़ का पांचवा स्थान है और आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, मंत्री खड़े होकर यहां बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं ।

श्री अमरजीत भगत :- मैं यह नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि जैसे अपराधी पकड़े जा रहे हैं, यहां से जो किडनेप करके ले गए, अगर उन अपराधियों को पुलिस पकड़कर ला रही है और जो नशे के

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

धंधे में हैं, उन अपराधियों को पुलिस पकड़ रही है तो आप उसमें आपत्ति क्यों कर रहे हैं ? इसमें दो तरह की बात हो गई।

श्री शिवरतन शर्मा :- अमरजीत जी, आप तो शराब बेचने वालों का समर्थन कर रहे हैं ।

श्री अमरजीत भगत :- सभापति महोदय, अगर पुलिस अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही कर रही है, उसमें आपने आपत्ति दर्ज करायी है । अगर कहीं भी घटना हो रही है, पुलिस कार्यवाही कर रही है तो उनका हौसला अफजाई करना चाहिए ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अमरजीत जी, आप ऐसी बीच-बीच में खड़े होकर, बोलकर गृहमंत्री जी को थोड़ा और ज्यादा बेनकाब करना चाहते हैं क्या ? जो आंकड़े हैं, उसको नहीं पढ़ रहे हैं तो आप उसको भी पढ़वा देते हो । ज्यादा मत बोलिए न भई।

श्री अमरजीत भगत :- आपको जो आरोप-पत्र है, उसमें धार होनी चाहिए । जिस ढंग से आप आरोप लगा रहे हैं, उसके बाद आप कार्यवाही पर भी प्रश्न-चिह्न खड़ा कर रहे हैं । अगर पुलिस अपराधियों को झारखण्ड से पकड़ कर ला रही है, उत्तरप्रदेश से पकड़ ला रही है तो पुलिस का हौसला अफजाई करना चाहिए, पीठ थपथपाना चाहिए, आप उसमें आपत्ति कर रहे हो ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप तो प्रश्रय देने वाले हो । आपने स्वयं मैनपाट महोत्सव में शराब पिलाने की बात को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है ।

सभापति महोदय :- आप सभी सदस्य बैठ जाएं । बृजमोहन जी, आप अपनी बात समाप्त करिए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, मुख्यमंत्री जी के विधान सभा क्षेत्र खुड़मुड़ा में 4 लोगों की हत्या हो गई और तीन महीने से अपराधी नहीं पकड़े गए। उसके बाद भी हम सदन में चर्चा नहीं करें, उसके बारे में आप लोग चर्चा क्यों नहीं करते, उसके बारे में आप लोग क्यों नहीं बोलते ? माननीय मुख्यमंत्री जी, पूरे छत्तीसगढ़ में भू-माफियाओं का शिकंजा हो रहा है । भू-माफिया जमीनों पर कब्जा करने के लिए हत्याएं कर रहे हैं । आप देखेंगे कि आने वाले समय में खुड़मुड़ा कांड में भी भू-माफिया संलिप्त होंगे, वही मिलेंगे कि भू-माफियाओं ने हत्या की है। भू-माफियाओं को संरक्षण देना बंद करिए, शराब माफियाओं को संरक्षण देना बंद करिए।

समय :
12:52 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)**

अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या होगी कि हाथियों के शिकार हो जाते हैं, तेदूओं के शिकार हो जाते हैं । इतने बड़े प्राणी के शिकार हो जाएं, उसके बाद भी सरकार के कान में जूं नहीं रेंगे ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- माननीय अग्रवाल साहब, अभी विधान सभा 22 दिन और चलेगी । 22 दिन आपको अवसर मिलेंगे । आप पहले दिन ही सब समय समाप्त करेंगे तो ठीक नहीं रहेगा । आपके पीछे वाले हाथ उठा रहे हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका आदेश हो गया, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं । मुझे याद है, जब विधान सभा का सत्र चल रहा था । हाथरस की घटना को लेकर, मुख्यमंत्री जी और सब लोग यहां पर चिंतित थे, आवाज उठा रहे थे, उसी समय कोण्डागांव में बच्ची का अपहरण करके उसकी हत्या कर दी गई थी, उसको दफना दिया गया था, उसके बारे में यहां पर चर्चा नहीं की गई । हाथरस कांड की चर्चा यहां पर हो जाती है । अध्यक्ष महोदय, पूरा प्रदेश चिंतित है, प्रदेश की जनता चिंतित है कि छत्तीसगढ़ में माफिया राज पनप रहा है, छत्तीसगढ़ में चाकूबाजी की घटनाएं हो रही हैं, छत्तीसगढ़ में हत्याएं हो रही हैं, छत्तीसगढ़ में कोरवा आदिवासी सुरक्षित नहीं हैं, छत्तीसगढ़ में शराब माफिया पनप रहा है, छत्तीसगढ़ में जो सूखा अपराध है, वह बढ़ रहा है इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इस स्थगन को स्वीकार कर चर्चा कराएं तो हम निश्चित रूप से पूरे तथ्य आपके सामने रखेंगे । छत्तीसगढ़ की पूरी जनता चिंतित है । आप इसको स्वीकार करें और उस पर चर्चा करवाएं, इस बात का आग्रह है ।

अध्यक्ष महोदय :- अजय चन्द्राकर जी पांच मिनट में बताईए कि इस स्थगन को क्यों स्वीकार करें ?

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बात शुरू करने से पहले आपसे एक आग्रह करूंगा । यह स्थगन एक सप्ताह पहले दिया गया है । जिस दिन स्थगन, ध्यानाकर्षण लगना होता है, आप पेपर पढ़ेंगे तो रोज एक घटना होती है। आजतक जो घटना घटी है, अगली बार जब स्थगन हो तो हम पूरक स्थगन भी दे सकें या छत्तीसगढ़ विधान सभा सत्र के लिए जो स्थगन का फार्म है, उसकी लंबाई बढ़वाई जाए क्योंकि घटना इतनी ज्यादा है, वह संक्षेप शब्दों में नहीं आता ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि स्थगन-ध्यानाकर्षण में एक नियम है कि किसी घटना विशेष पर केन्द्रित रहे । जब हम लॉ एण्ड आर्डर की बात करते हैं, इसमें हमने हत्या-मर्डर इस तरह की बातों को कहा । महान संसद विज्ञ रविन्द्र चौबे जी के क्षेत्र में अवैध दारू की भट्ठी पकड़ी जाती है, वह हमने इसमें नहीं लिखा है । रायपुर में अवैध दारू की भट्ठी पकड़ी जाती है, उसको हमने नहीं लिखा है, अवैध शराब बेची जाती है, उसको इस स्थगन में नहीं लिखा है ।

अध्यक्ष महोदय :- बाद में लिख लीजिए ना। आप इसमें चर्चा करें।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मेरी बात को सुनिए ना। पांच मिनट नहीं, उसको कहेंगे तो मैं दो मिनट में खत्म कर दूंगा। सवाल इस बात का है, कानून और व्यवस्था से जुड़े जो दूसरे विषय हैं। यदि हम एक विषय में केन्द्रित रहते हैं और बाकी विषय घटते हैं। अभी कोरवां आदिवासियों के साथ,

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

राष्ट्रपति के जो दत्तक पुत्र कहे जा रहे हैं, हमने दूसरा स्थगन बलात्कार पर दिया है। ये घटनाएं यदि सवमेत ढंग से जोड़ दी जाये और चर्चा कराई जाये तो यहां उपलब्धि के नाम में गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ में अपराध, अपराध, अपराध और अपराध के तौर तरीके नये-नये यही नवा गढ़बो छत्तीसगढ़ में दिखेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्राह्यता पर चर्चा। ग्राह्यता पर चर्चा में, आप यदि ग्राह्य करेंगे तो हम इस बात को साबित करेंगे कि ठेके पर शासन चल रहा है। अपराध का एक बड़ा कारण यह है कि एस.पी या कलेक्टर की नियुक्ति ठेके पर हो रही है और कहा जा रहा है कि ये आपके लिये लक्ष्य है। आप इसको संपादित करिये नहीं तो आपको छोड़ दिया जायेगा। दूसरा कारण हम साबित करेंगे। हाथी का कारीडोर तो बना नहीं। पुलिस के लिये कोरिया से रायगढ़ तक जो वसूली का टारगेट बन गया है, उसका मनोबल गिरा, यदि आप वसूली नहीं करेंगे तो हम आपको हटा देंगे। आप अवैध दारू नहीं बिकवायेंगे तो आपको डिमोट कर दिया जायेगा। ये जो चीजें हैं, पुलिस में पहली बार आयी हैं। पुलिस की मांग, कहां हैं, जन घोषणा पत्र वाले साहब? आप जन घोषणा पत्र बनाये, पुलिस की कितनी मांग को पूरा किये। आज की तारीख में पुलिस का पूरा मनोबल गिरा हुआ है।

श्री संतराम नेताम (केशकाल) :- आपके कार्यकाल में भी किसानों को 2100 रूपये और 300 रूपये बोनस देने की बात कही है, कहां है आपका घोषणा पत्र ? आप भी वादा किये थे।

श्री अजय चंद्राकर :- सुनो-सुनो माननीय, आपकी जो स्थिति हैं वह सबसे उपेक्षित की है। आप नजर में नहीं चढ़ सकते, आप ढाई साल में तय हो गये हो। दूसरा पिक्चर शुरू होने वाला है, अभी वह तीन महीने बाद ओ.टी.टी. पर रिलीज होगा। क्यों साहब, ओ.टी.टी. पर होगा ना कि किसमें रिलीज होगा ?

श्री अरूण वोरा (दुर्ग शहर) :- चंद्राकर जी, आप उसकी चिंता मत करिये। वे परमानेंट मुख्यमंत्री रहेंगे।

श्री अजय चंद्राकर :- कौन बताये, सोनिया जी ?

श्री अरूण वोरा :- हां, सोनिया जी बतायी हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- अब तो वोरा जी नहीं रहे बेचारे, ऊपर से खबर कैसे आयेगी ?

संसदीय सचिव, लोक निर्माण विभाग से सम्बद्ध (श्री विकास उपाध्याय) :- पुरंदेश्वरी जी बतायी हैं।

श्री अरूण वोरा :- पुरंदेश्वरी जी बतायी है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय।

अध्यक्ष महोदय :- आज आप भटक रहे हैं। आप विषय से भटक रहे हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मैं विषय से बिल्कुल नहीं भटक रहा हूं। ये मैं आरोप भी लगाऊंगा, यदि आप ग्राह्य करेंगे तो ये आरोप मेरे सत्य होंगे। आप ग्राह्य करिये, मैं आरोप लगाऊंगा,

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

उसको साबित करूंगा। एक अपहरण व्यापारी को यदि बिहार से या उत्तरप्रदेश से छुड़वाया जाता है तो रायपुर में यह जन चर्चा का विषय है कि यदि इतना पैसा नहीं दोगे तो हम तुमको यहीं ठोक देंगे। तुमको कहां से बरामदगी होगी ? दूसरी बात, डी.जी.पी. साहब बैठे हैं, डी.जी.पी. के पास कितनी स्वतंत्रता है ? उसके नीचे बड़ा डी.जी.पी. काम कर रहा है। पुलिस कैसे काम करेगी ?

अध्यक्ष महोदय :- शिवरतन जी शर्मा

श्री अजय चंद्राकर :- जो आई.जी. गुप्त वार्ता या ए.डी.जी. गुप्त वार्ता है, उसके नीचे और ए.डी.जी. गुप्त वार्ता है। समानांतर व्यवस्थाएं चल रही हैं तो उसका निर्णय कौन करेगा ?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये।

श्री अजय चंद्राकर :- नहीं-नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये छत्तीसगढ़ में अपराध। आप ये कह दिये कि पुलिस काम कर रही है और नहीं कर रही है। छत्तीसगढ़ बनने के बाद जो आर्थिक परिवर्तन आये, कोई अध्ययन करने के लिये तैयार नहीं। जो बाहरी लोग आये, अपराधी लोगों की शरणभूमि बनी, उसको कोई करने के लिये नहीं आये। सबसे बड़ी बात ये टूटते हुए सपनों का राज्य बन गया। हताशा और अवसाद में छत्तीसगढ़ चल दिया। पिछले सत्र में आपने कहा कि छत्तीसगढ़ में 18 लाख बेरोजगार हैं, 18 लाख बेरोजगारों के सामने जब कोई भविष्य नहीं दिख रहा है तो कहां जायेंगे ? दूसरी बात, जब हत्या, अपराध, वसूली, ये चीजें सरकारी संरक्षण में होती हैं। मैं आपको एक उदाहरण बता देता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, शिवरतन शर्मा जी।

श्री अजय चंद्राकर :- साहब, मैं दो मिनट में खत्म कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, धमतरी में चुनाव में एक राईस मिल से शराब की जब्ती होती है। उसमें कोई कार्यवाही नहीं होती है। पुलिस को कहा जाता है कि यदि कार्यवाही होगी। कुरूद में रात को एक क्रिमिनल ट्रेस पास होता है।

अध्यक्ष महोदय :- इसमें शराब का मामला नहीं है।

श्री अजय चंद्राकर :- इसलिए उसमें कार्यवाही नहीं होती कि वह कांग्रेस का कार्यकर्ता है। इस गृह मंत्री से अपेक्षा, अपराध बढ़ने में गृह मंत्री की स्वीकारोक्ति है।

अध्यक्ष महोदय :- इसमें सिर्फ हत्या और बलात्कार के मामले हैं, शराब नहीं।

श्री अजय चंद्राकर :- मेरी आखिरी बात। गृह मंत्री जी बोलते हैं, उन्होंने स्वीकार किया। पेपर में है, संस्कार की कमी है इसलिए अपराध बढ़ रहे हैं। ये आपका वक्तव्य है। अब यदि संस्कार की कमी है तो आपके पास धर्मस्व विभाग भी है, खुड़मुड़ा के आत्मा की शांति के लिए धर्मस्व विभाग से सब जगह भागवत करवाओ। जितने मरे हैं, जितनी दुर्घटनाएं हैं, धर्मस्व विभाग से उनके लिए भागवत कराओ। अब पुलिस विभाग, गृहमंत्री का एक ही काम है कि यदि संस्कार नहीं है तो भागवत कराओ। धन्यवाद ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- चलिये हो गया, प्लीज। श्री शिवरतन शर्मा जी।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सन् 2018 के चुनाव के पहले एक नारा दिया था "गढ़बो नवा छत्तीसगढ़" और उन्होंने दो साल में छत्तीसगढ़ को अपराध के गढ़ के रूप में गढ़ने का काम किया है। प्रदेश का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहां हत्या, बलात्कार, डकैती, लूटपाट की घटनाएं न होती हो। प्रदेश में अपराधियों के हौसले काफी बुलन्द हैं, उसका सबसे बड़ा उदाहरण माननीय मुख्यमंत्री की उपस्थिति में हुई घटना है। इस सदन के सदस्य श्री शैलेष पाण्डेय को एक व्यक्ति मुख्यमंत्री की उपस्थिति में कालर पकड़ता है, मारता है। हमने, आपको इस पर विशेषाधिकार की सूचना दी है। परन्तु माननीय अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में विधायक का कालर पकड़ ले और उसके बाद उस पर कोई कार्यवाही न हो, पार्टी जांच समिति घोषित करती है, उसको उसके पद से हटा देती है। परन्तु क्या इस पर स्वस्फूर्त मामला कायम नहीं हो सकता ? सारे समाचार-पत्रों में छपा है कि आपने कमेटी बनाई और उसको पद से हटाया। अगर कमेटी बनाकर उसको पद से हटाया, अगर विधायक के साथ घटना घटित हुई तो स्वस्फूर्त मामला क्यों कायम नहीं हुआ ? माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर विचार करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- आप तो पूरी तरह से विषय गायब हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ माननीय डी.पी. धृतलहरे जी मंत्री रहे हैं। आप क्या बोल रहे हैं बताईये ?

अध्यक्ष महोदय :- स्थगन प्रस्ताव में जो लिखा गया है, उसके बारे में बोलिये।

डॉ.(श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- यह बात तो सभी पार्टियों में होती है।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि क्यों आप इस स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्य करें। मैं ग्राह्यता पर बोल रहा हूं। यदि मैं ग्राह्यता पर बोल रहा हूं तो इसमें कुछ बातें जो लिखी गई है, उससे बाहर की बोलनी पड़ेगी। माननीय अध्यक्ष जी, इसको ग्राह्य करने की आवश्यकता इसलिए है कि डी.पी. धृतलहरे जी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ इस सदन के सदस्य रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उनकी बहु और पोती की हत्या हो गई। मुख्यमंत्री जी के निर्वाचन क्षेत्र में चार लोगों की हत्या हो गई, ढाई से तीन महीने हो गए हैं, अब तक हत्यारे पकड़े नहीं गये हैं।

श्री अमरजीत भगत :- शिवरतन जी, आप जिस घटना के बारे में बोल रहे हैं, उसके अपराधी पकड़े गये या नहीं पकड़े गये, वह भी बताओ न।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैंने कहा कि शैलेष पाण्डेय जी के साथ जो घटना हुई, उसमें अपराधियों पर अपराध कायम नहीं हुआ। आप इस पर बोलिये।

श्री अमरजीत भगत :- आपने डी.पी. धृतलहरे जी के परिवार के बारे में बोला, उसमें अपरधी पकड़े गये या नहीं, यह बताओ न।

श्री शिवरतन शर्मा :- सदन के सदस्य के साथ घटना घटित हुई और उस पर मामला कायम नहीं हुआ। खुड़मुड़ा की घटना में अपराधी अब तक नहीं पकड़े गये हैं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम पत्रकारों के संरक्षण के लिए एक नया कानून बनायेंगे। पत्रकारों के साथ लगातार घटनाएं घट रही हैं। पत्रकारों के साथ मारपीट हो रही है। प्रदेश में लगातार नक्सली घटनाएं बढ़ रही है। लोगों को मुखबीरी के नाम पर काटा जा रहा है, मारा जा रहा है। जशपुर में एक बेटी 7 बार पीटी और उसके बाद वह बेटी आत्महत्या के लिए बाध्य हो गई। 6 महीने उसकी रिपोर्ट पड़ी रही। कोण्डागांव की घटना है, बेटी के साथ बलात्कार हुआ ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी कोण्डागांव में बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं। उसका पूरा उल्लेख मत करना।

श्री शिवरतन शर्मा :- हत्या हो गई, हत्या के बाद दफना दिया गया। पुलिस कार्यवाही करने को तैयार नहीं है। जब उस बेटी के पिता ने आत्महत्या करने का प्रयास किया, तब जाकर मामला उजागर हुआ। लेमरू की घटना माननीय बृजमोहन जी ने किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं तो अपराध बढ़ने का कारण क्या है ? अपराध बढ़ने के पीछे बड़ा कारण, इस सरकार ने प्रदेश को नशे के गिरफ्त में डाला है, वह अपराध बढ़ने का बड़ा कारण है।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद। डॉ. रमन सिंह जी।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 2 मिनट लूंगा। इनके घोषणा-पत्र में था कि हम पूर्ण शराबबंदी करेंगे। उस शराबबंदी का क्या हुआ ? आज पूरे प्रदेश में अवैध शराब बिक रही है। कोचियें पकड़े जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आप कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो ? डॉ. रमन सिंह जी।

श्री शिवरतन शर्मा :- उसमें महाराष्ट्र, उड़ीसा, आन्ध्रप्रदेश का ब्रांड मिलता है। परन्तु सारा शराब सरकार के संरक्षण में यहीं तैयार होता है और उस पर अन्य प्रांतों का सिर्फ लेबल लगाया जाता है।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- आपके शासनकाल में आप कौन से दूध के धुले थे।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह बोलना चाहता हूं कि सरकारी संरक्षण में अवैध शराब का धंधा फल-फूल रहा है। सरकार सिर्फ कोचिए पर कार्रवाई करती है, निर्माताओं पर कोई कार्रवाई नहीं करती। Corex बिक रहे हैं कहीं कोई कार्रवाई नहीं। सस्ते नशे के लिए लोग Corex पी रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सूखे नशे, गांजे, कोकीन का अवैध व्यापार बढ़ा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे महत्वपूर्ण विषय जो है इस प्रदेश में रेत माफिया और कोल माफिया भी अपराध की जड़ में हैं। आज कोल में क्या हो रहा है? पुलिस कार्रवाई करने को बाध्य किसमें है, जिसने टैक्स नहीं दिया। जिसने

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सी.एम. टैक्स नहीं दिया उसी के खिलाफ कार्रवाई होगी। प्रदेश में जितने रेत माफिया काम कर रहे हैं, सी.एम. हाऊस से फोन जाता है, उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई होती है।

श्री बृहस्पत सिंह :- ये सी.एम. टैक्स तो 15 साल से लगते आ रहा है साहब, अभी दो साल से बंद हुआ है।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, सबसे बुरी स्थिति ये हो गई है कि पूरे प्रदेश में ट्रांसफर, पोस्टिंग पेमेंट बेस पर हो रही है, समय सीमा के लिए हो रही है और अधिकारी को समय सीमा समाप्त होने के बाद रिचार्ज कराना पड़ता है। जिस व्यक्ति से पैसे की वसूली होगी वह व्यक्ति अपराध नहीं रोक सकता और सरकार के संरक्षण में अपराध बढ़ रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं कि आप ग्राह्य करें।

डॉ. रमन सिंह (राजनांदगांव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्राह्यता पर जब चर्चा हो रही है तो प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति जिस प्रकार से दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, बदहाल होती जा रही है, हत्या, लूट में बेतहासा वृद्धि हो जा रही है, जानमाल सुरक्षित नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आज कुछ आंकड़े ही चौकाने वाले हैं और फिर उसकी ग्राह्यता के लिए प्रश्नचिन्ह लगाने की आवश्यकता ही नहीं बचेगी। अध्यक्ष महोदय, कुछ छोटे-छोटे आंकड़े हैं जिससे आपको लगेगा कि प्रदेश की हालत कैसे बद से बदतर होती जा रही है। जनवरी 2019 से 31 जनवरी, 2020 तक हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार के अपराधों के 17 हजार मामले सामने आये। अध्यक्ष महोदय, इस आंकड़े में केवल बलात्कार के 2575 मामले, दुष्कर्म की अलग-अलग घटनाओं में पिछले दो वर्षों में 5347, बलात्कार के 4000 मामले, ये आंकड़े यह बताते हैं कि स्थिति कैसे बिगड़ी है और आज ये जो तीन महीने के आंकडे बता रहे थे कि तीन महीने में जिस प्रकार से हत्या, बलात्कार और लूट की घटनाएं हुई है। एक घटना जो आज तक छत्तीसगढ़ के इतिहास में वैसी घटना नहीं हुई वह घटना कि राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र जिनको कोरवा कहा जाता है उनकी बच्ची के साथ जो घटना हुई, यह एक घटना अकेला काफी है कि किसी की जमीर, किसी की आत्मा के अंदर यदि आवाज नहीं आती कि किस प्रकार से दुष्कर्म किया गया, पत्थर से कुचला गया, उनकी मां, पिता और बहन के सामने जिस प्रकार से हत्या की गई, ये क्रूरता की पराकाष्ठा है। जशपुर में जो घटनाएं हुईं, जशपुर के साथ-साथ केशकाल की घटनाएं और जिन घटनाओं के बारे में अभी जिक्र किया गया, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में कानून और व्यवस्था की स्थिति कैसे बद से बदतर होती जा रही है और ये उदाहरण मैं राजनांदगांव जिले से ही देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मानपुर की घटना में आज कानून-व्यवस्था की ये स्थिति हो गई कि व्यक्ति अपने आपको सुरक्षित महसूस नहीं करता और नक्सलियों ने 25 ग्रामीणों के बारे में लिस्ट बनाकर टांग दिया और आज पुलिस की स्थिति ये है। आज तक 15 सालों में मैंने दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा इन जगहों पर ऐसी स्थिति नहीं देखी। हमने नहीं देखा कि मानपुर की स्थिति इतनी बदतर हो जायेगी कि पुलिस को नोटिस चस्पा करनी पड़े और लोगों को कहना पड़े कि यदि आप अपने जानमाल की रक्षा कर सकते हैं तो रहिए

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

वरना सुरक्षित स्थान पर चले जाईये। कानून की इससे ज्यादा कहीं बदतर स्थिति नहीं होती और 40-50 लोगों को ये नोटिस चस्पा किया जाता है। अब ये स्थिति बन जायेगी कि पुलिस अपने दोनों हाथ उठा ले? कभी ये सुकमा में नहीं हुआ, कभी ये दंतेवाड़ा में नहीं हुआ, कभी ये बीजापुर में नहीं हुआ और आज ये मानपुर में हो रहा है कि लोगों को कहा जा रहा है कि आप घर छोड़कर चले जाएं।

विधि मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- डॉक्टर साहब, एक मिनट मैं बोलना चाहूंगा।

डॉ. रमन सिंह :- मेरे जवाब में सारी बातें आ जायेंगी।

श्री मोहम्मद अकबर :- झीरम हत्याकांड से बड़ी घटना पूरे इतिहास में कहीं नहीं है, आप कहां नक्सलियों की बीजापुर, सुकमा की बात कर रहे हैं? आपके कार्यकाल का है, आज तक कोई पकड़ में नहीं आया। आप कुछ नहीं कर पाये। उससे बड़ी घटना पूरे इतिहास में नहीं है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अकबर साहब, आपने झीरम घटना का जिक्र किया। माननीय मुख्यमंत्री जी यहां बैठकर लगातार बोलते रहे कि हमारे पास प्रमाण हैं, निष्पक्ष जांच हो तो अब तो आपकी सरकार है, आप जांच कराओ ना। अब तो सब चीज आपके हाथ में है। आप सुरक्षा भी दे सकते हैं, आपको किसने रोका है?

श्री मोहम्मद अकबर :- हम तो सी.बी.आई. जांच की मांग कर रहे हैं। आप अनुमति क्यों नहीं देते ? हम लगातार मांग सी.बी.आई. जांच की मांग कर रहे हैं। आप अनुमति क्यों नहीं देते ?

अध्यक्ष महोदय :- डॉ. साहब आप भी समाप्त करिये।

श्री बृहस्पत सिंह :- साहब आपके समय में ही 1200 गांवों को जलाकर राख कर दिये गये।

श्री धरमलाल कौशिक :- आपको किसी ने रोका नहीं है उसमें जो गवाही देना चाहते हैं, वह गवाही दे सकते हैं। आपकी जेब में साक्ष्य है आप जाकर गवाही दे सकते हैं आपको किसी ने मना नहीं किया है और आपको रोका नहीं गया है। आप अभी भी गवाही दे सकते हैं।

श्री मोहम्मद अकबर :- आप सी.बी.आई. जांच कराने में क्यों सहमति नहीं देते ? आप बड़ी-बड़ी घटनाओं के बारे में बोलते हैं। आज तक पूरे छत्तीसगढ़ के इतिहास में झीरम हत्याकाण्ड से बड़ा कोई काण्ड नहीं हुआ। यदि ऐसा कोई काण्ड हुआ है तो बताएं ?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अकबर भईया, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। झीरम काण्ड पर माननीय मुख्यमंत्री जी का इधर से बहुत भाषण हुआ है। जब सदन में बात हो रही है तो ऑन रिकॉर्ड बात है।

अध्यक्ष महोदय :- आप बाद में झीरम की बात करियेगा। चलिये डॉ. साहब आप समाप्त करिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हमारे पास सारे प्रमाण हैं, पर हम जिनको गवाहों का नाम देंगे, उनको सुरक्षा कौन देगा ? ये ऑन रिकॉर्ड है अब तो आपकी सरकार है आप

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सुरक्षा देना चाहते हो तो आप उनका बयान करवाओ। आपके पास यदि प्रमाण है तो आप प्रमाण प्रस्तुत करिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- सबसे बड़ा प्रमाण आपके बाजू में है।

श्री शिवरतन शर्मा :- हां। (व्यवधान)

डॉ. रमन सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, झीरम की घटना का जिक्र आज इस घटना के साथ जोड़कर हो रहा है। आज कानून व्यवस्था की स्थिति की तुलना झीरम से हो रही है। आप दुर्भाग्य देखिए और सवा दो साल सत्ता में रहने के बाद ये बात खुले आम कही जाती थी कि हमारे पास प्रमाण है हम इस तथ्य को साबित करेंगे। सवा 2 साल निकल गये, 5 साल निकल जाएगा। वह तथ्य धरे के धरे रह जाएंगे क्या? उन तथ्यों को सामने आना चाहिए। इसके लिए आज सरकार को किसने रोका है ? यदि झीरम की चर्चा हो रही है तो झीरम पर चर्चा होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, झीरम के बारे में माननीय शिवरतन जी, अजय जी और डॉ. रमन सिंह जी ने भी कहा। झीरम के मामले में हम अभी भी गंभीर हैं और उस मामले में हमने एस.आई.टी. गठन की, जांच शुरू की। यही लोग भाग-भाग कर गये, भारत सरकार हाईकोर्ट चली गई, सुप्रीम कोर्ट चली गई। यह बोलते हैं कि एन.आई.ए. जांच करेगी। आपकी एस.आई.टी. जांच नहीं करेगी। (शेम-शेम की आवाज) आपको क्यों तकलीफ है ? हमको क्यों जांच नहीं करने दे रहे हैं। आपने हाईकोर्ट में फाईनल रिपोर्ट सबमिट कर दिया है, एन.आई.ए., आपने कोर्ट में जमा कर दिया है फिर वह केस हमको वापस क्यों नहीं करते ? आप क्यों रोक रहे हैं ? इसमें क्या पर्दादारी है ? क्या साजिश है ? किसको छुपाना चाहते हो ? क्या छुपाना चाहते हो ? क्या, किसको बचाना चाहते हो ? अभी तक के, जब गृहमंत्री जी यहां आये थे तब भी मैंने मामला उठाया कि हमको यह जांच दे दीजिए। वहां दिल्ली में भारत सरकार के साथ बैठक हुई तब भी हमने कहा कि हमको इस केस को दे दीजिए। वह क्यों नहीं दे रही है ?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सुन तो लीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- शासन का वक्तव्य तथा माननीय सदस्यों के विचार सुनने के पश्चात् मैं इसे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- हो गया।

डॉ. रमन सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी पूरी बात नहीं हुई है।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि आप हमें नहीं बोलवायेंगे तो हम गर्भगृह में जाएंगे। हमारे पास क्या है ?

अध्यक्ष महोदय :- हो गया।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

डॉ. रमन सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि एन.आई.ए. के सामने कोई तथ्य रखना है तो किसने रोका है?

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सबको सुन लीजिए, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कानून व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हो ही नहीं सकता। हम न बोले, उसके बाद आप व्यवस्था देते। मैं गर्भगृह में जा रहा हूँ।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नारे लगाते हुए गर्भगृह में आए)

समय :

1:15 बजे **गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन**

अध्यक्ष महोदय :- विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 के उप नियम (1) के तहत निम्न सदस्य अपने स्थान को छोड़कर गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गये हैं :-

01. श्री धरमलाल कौशिक
02. डॉ. रमन सिंह
03. श्री बृजमोहन अग्रवाल
04. श्री ननकीराम कंवर
05. श्री पुन्नूलाल मोहले
06. श्री अजय चन्द्राकर
07. श्री नारायण चंदेल
08. श्री शिवरतन शर्मा
09. डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी
10. श्री सौरभ सिंह
11. श्री डमरूधर पुजारी
12. श्री विद्यारतन भसीन
13. श्री रजनीश कुमार सिंह
14. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू

कृपया निलंबित सदस्य सदन से बाहर चले जायें। मैं निलंबन की अवधि पश्चात निर्धारित करूंगा।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा गर्भगृह में नारे लगाये गये।)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही 5 मिनट तक के लिए स्थगित।

(1.17 से 1.23 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

समय :
1:23 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)**

निलंबन समाप्ति की घोषणा

अध्यक्ष महोदय :- प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन संबंधी नियमावली के नियम- 250 (1) के तहत् माननीय सदस्यगण अपने स्थान को छोड़कर गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गए थे, मैं उनका निलंबन समाप्त करता हूं ।

ध्यानाकर्षण सूचना

अध्यक्ष महोदय :- ध्यानाकर्षण सूचना कल ली जाएगी ।

समय :
1:23 बजे **नियम 267-क के अंतर्गत विषय**

अध्यक्ष महोदय :- निम्नलिखित सदस्यों की शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इन्हें उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जायेगा :-

1. श्री प्रकाश शक्राजीत नायक, सदस्य

समय :
1:24 बजे **याचिकाओं की प्रस्तुति**

(माननीय सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण प्रस्तुत नहीं हुई।)

समय :
1:24 बजे **वित्तीय वर्ष 2020-2021 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन**

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदया के निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करता हूं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- मैं, अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा और मतदान के लिये बुधवार, दिनांक 24 फरवरी, 2021 की तिथि निर्धारित करता हूं ।

समय :
1:25 बजे

प्रतिवेदन पर चर्चा

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अठारहवें वार्षिक प्रतिवेदन (1 अप्रेल, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक की अवधि के लिये)

अध्यक्ष महोदय :- छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा आगामी दिवस में ली जायेगी ।

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 24 फरवरी, 2021 को 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित ।

(अपराह्न 1.25 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 24 फरवरी, 2021 (फाल्गुन-5, शक संवत् 1942) के पूर्वाह्न 11.00 बजे दिन तक के लिये स्थगित की गई ।)

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर (छत्तीसगढ़)
दिनांक : 23 फरवरी, 2021

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं